षष्ठम् माला, खंड 6, अंक 48, सोमवार, 8 अगस्त, 1977/17 श्रावण, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. VI, No. 48, Monday, August 8, 1977/Sravana 17, 1899 (Saka)

Checked
17/12/77

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 6 में अंक 41 से 48 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 41 to 48]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 48, सोमवार, 8 अगस्त, 1977/17 श्रावण 1899 (शक)

No. 48, Monday, August 8, 1977/Sravana 17, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सूचना और प्रसारण मंत्री और मुख्य संपादक समाचार सेवा (अंग्रेजी) आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Minister of Information and Broadcasting and Chief Editor, News Service (English) A.I.R.	1—2
सभापटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	2—7
हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में	*Re.* Atrocities on Harijans	7—8
सभा के कार्य के बारे	*Re.* Business of the House	9
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	9—14
कोका कोला कंपनी द्वारा अपना निर्माण दायित्व पूरा करने तथा पूर्णरुपेण भारतीय उत्पादों से पेय पदार्थ बनाने से इंकार	Coca Cola Company's refusal to fulfil its export commitment and to produce the beverage of wholly Indian Origin.	9
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	9
श्री जार्ज फर्नांडिस	Shri George Fernandes	9
परिपत्र देने संबंधी पुनःरीक्षित तथा उदार नीति बनाने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Revised and liberalised policy for Grant of Passport—	14—19
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	14
डाक और दूर संचार सेवाओं संबंधी नीति के कुछ पहलुओं के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Some policy aspects relating to Postal and Telecommunication Services—	19—21
श्री ब्रिज लाल वर्मा	Shri Brijlal Verma	19
मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Minister	21—24
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain	24
दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली आरम्भ करने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Introduction of Police Commissioner System in Delhi—	24—25
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	24
दिल्ली के तत्कालीन उपायुक्त द्वारा जारी किये गये दिनांक 26 जून, 1975 के एक 'आंसुका' वारंट की फोटो प्रति के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Publication of a Photostat Copy of a MISA Warrant dated the 26th June, 1975 issued by the then Deputy Commissioner of Delhi—	25—27
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	25

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
आपात स्थिति के दौरान तिहाड़ जेल दिल्ली में कथित लाठी चार्ज के बारे में विवरण	Statement Re. Alleged Lathi Charge in Tihar Jail during Emergency—	27—28
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	27
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	27
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377	28—32
संसद में विपक्ष के नेताओं का वेतन और भत्ते संबंधी विधेयक —	Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Bill—	32—51
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री रवींन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	32
श्री एम० वी० कृष्णप्पा	Shri M. V. Krishnappa	33
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	34
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	34
श्री ए० वाला पजनौर	Shri A. Bala Pajnor	35
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammed	36
श्री विनायक प्रसाद यादव	Shri Vinayak Prasad Yadav	36
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M. N. Govindan Nair	37
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	37
खण्ड 2 से 12 और 1	Clauses 2 to 12 and 1	39—45
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to Pass, as amended.	45—46
श्री रवींन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	45
आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग संबंधी श्वेत पत्र के बारे प्रस्ताव	Motion Re. White Paper on Misuse of Mass Media during Internal Emergency—	51—57
श्री लाल कृष्ण अडवानी	Shri L. K. Advani	46
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan	49
श्री नवाब सिंह चौहान	Shri Nawab Singh Chauhan	54
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	55

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 8 अगस्त, 1977/17 श्रावण 1899 (शक)

Monday, August 8, 1977/Sravana 17, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सूचना और प्रसारण मंत्री और मुख्य सम्पादक समाचार सेवा (अंग्रेजी) आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILAGE AGAINST MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND CHIEF EDITOR NEWS SERVICES (ENGLISH) A.I.R.

अध्यक्ष महोदय : 5 अगस्त, 1977 को श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ने (एक) सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एल० के० अडवाणी तथा (दो) मुख्य सम्पादक समाचार सेवा (अंग्रेजी) आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में नोटिस दिया था । नोटिस में उन्होंने कहा कि दिनांक 4 अगस्त, 1977 को रात के 9 बजे के अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन में यह प्रसारित किया गया कि उनके द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंश अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही सारांश से निकाल दिए गए जबकि उनके भाषण के किसी भी अंश को कार्यवाही सारांश से नहीं निकाला गया ।

मैंने यह मामला सूचना और प्रसारण मंत्री को भेजा है और आकाशवाणी द्वारा प्रसारित उक्त समाचार बुलेटिन की एक प्रति भी मंगवाई है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंत्री महोदय की अनुमति से जो सूचना भेजी है उसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जिनके कारण यह गलती हुई है, और इसके लिए खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि 8.45 और 9 बजे के समाचार बुलेटिनों के लिए समाचार भेजने की जल्दी में आकाशवाणी के सम्वाददाता ने कार्यवाही से निकाले गये भाग के बारे में पूरी जांच नहीं की और यह गलती चली गई । भविष्य में सम्वाददाताओं को इस

सम्बन्ध में अत्यधिक सावधान रहने की हिदायत दी गई है । इस प्रकार की गलतबयानी आकाशवाणी ने जानकार नहीं की है । अतः यह अनुरोध है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव को समाप्त किया जाए ।

इस स्पष्टीकरण और खेद प्रकट करने को देखते हुए मैं विशेषाधिकार के प्रस्ताव के लिए अपनी स्वीकृति नहीं देता । मामले को समाप्त समझा जाए ।

आशा है आकाशवाणी के संवाददाता अधिक सावधानी बरतेंगे और जहां भी सन्देह हो वहां कार्यालय की कार्यवाही से उसका मिलान करेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और विवरण

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटरयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 फरवरी 1977 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई०—3(97)/76-टी० पी० टी०/1783 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०970/77] ।

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951 :—

(1) The Indian Administrative Service (Pay) Seventh Amendment Rules, 1977 published in Notification No. G.S.R. 531(E) in Gazette of India dated the 19th July, 1977.

(2) The Indian Administrative Service (Fixation of Cadres Strength) Eleventh Amendment Regulations, 1977 published in Notification No. G.S.R. 940 in Gazette of India dated the 23rd July, 1977. [Placed in Library. *See* No. L.T.—971/77]

फीड स्टाक के रूप में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाए जाने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4874 के 26 जुलाई, 1977 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य और कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) फीड स्टाक के रूप में कोयले पर आधारित उर्वरक संयत्र लगाये जाने के बारे श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे के अतारांकित प्रश्न संख्या 4874 के 26 जुलाई,

1977 को किये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 972/77] ।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :

(एक) (क) हिंदुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1976 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिंदुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन, लिमिटेड बम्बई का वर्ष 1976 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 973/77] ।

(दो) (क) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1974 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1974 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 974/77] ।

(तीन) (क) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड कलकत्ता के 1 जनवरी, 1975 से 31 मार्च, 1976 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता का 1 जनवरी, 1975 से 31 मार्च, 1976 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 94/77] ।

(3) उपर्युक्त मद (4) (दो) और (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 974/77] ।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक विवरण और अधिसूचनाएं

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 975/77] ।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चावल और धान (दक्षिण जोन) लाने ले जाने पर नियंत्रक (संशोधन) आदेश, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2390 में प्रकाशित हुआ था । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 976/77] ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभा पटल पर पत्र देरी से रखना एक आम बात हो गई है । इस सारे सत्र भर उसके कारणों का विवरण देना प्रतिदिन की बात है । सभा पटल पर पत्र रखे जाने सम्बन्धी संस्दीय समिति की भूतपूर्व सरकार के मंत्रियों से पिछली सरकार के कारण हुए विलम्ब का कारण बताने को कहने का अधिकार दिया जाए ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना विधि आयोग का 63वां और 64वां प्रतिवेदन, और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के बारे में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रारूप आदेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 561 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा आसाम राज्य के संसदीय तथा विधान सभाई चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन आदेश 1976 की अनुसूची 4 में कतिपय शुद्धि की गई है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-977/77] ।

(2) (एक) ब्याज अधिनियम 1839 के सम्बन्ध में विधि आयोग के 63वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-978/77] ।

(3) (एक) महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, 1956 के सम्बन्ध में विधि आयोग के 64वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-978/77]।

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा (1) की उपधारा (6) के अन्तर्गत मैसर्स राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के ऋण के एक भाग को साम्य अंश पूंजी में बदलने के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बारे में उक्त अधिनियम, की धारा 81 की उपधारा (4) के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले प्रारूप आदेश संख्या 33/56/75 सी० एल० iii (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-979/77]।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और विवरण

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवींद्र वर्मा) : मैं डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखों की एक प्रति और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त पत्रों का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-980/77]।

भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री रवींद्र वर्मा : मैं प्रो० मधु दण्डवते की ओर से, भारतीय रेल अधिनियम, 890 की धारा 56(ख) की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सां० आ०

2362 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-981/77]।

चाय (संशोधन) नियम और समीक्षा तथा टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, लि० रबर बोर्ड और इलायची बोर्ड का 1975-76 वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चाय (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सां० स० नि० 921 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-982/77]।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ़ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ़ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा। देखिये संख्या एल० टी०-983/77]।

(3) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1975-76 के क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-984/77)।

(4) इलायची बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-985/77]।

संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत प्रतिवेदन और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1976 का प्रतिवेदन-संघ

सरकार (वाणिज्यिक) भाग 6--प्राग टूल्स लिमिटेड। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-986/77]

(दो) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1977 का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक)-भाग-1 भूमिका। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-987/77]।

(19) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (18वां संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1008 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-988/77]

हरिजनों पर अत्याचार के बारे में
Re. ATROCITIES ON HARIJANS

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) : मैं गृह मंत्री का ध्यान हरिजनों पर किए जा रहे अत्याचारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज सुबह जब मैं घर से चलने वाला था, हरिद्वार के निकट के ग्राम के कुछ लोग मेरे घर आये। उनके कपड़े खून से लथपथ थे। मेरा ख्याल है यह लोग प्रधान मंत्री से भी मिले हैं। कल रात भी मुझे मध्य प्रदेश की विधान सभा के विरोधी दल के नेता का टेलीफोन आया जिसमें उन्होंने बताया कि रतलाम के निकट के एक गांव में 70–80 व्यक्तियों ने हरिजनों पर हमला किया उनकी भूमि हथिया ली और चार व्यक्तियों की घटास्थल पर मृत्यु हो गई है।

गुजरात में भी एक घटना हुई है उसके बारे में भी आज समाचार पत्रों में खबर है।

अत्याचारों की एक लहर सी चल रही है। यह मामले केवल कुछ व्यक्तियों के ही नहीं है। लगता है कि यह हमले जानबूझकर और सुनियोजित ढंग से किये जा रहे हैं। यह सामन्तवादी जमींदार जो अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का नियंत्रण कर रहे हैं हिंसक होने जा रहे हैं और केन्द्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब तक इस मामले में सख्ती नहीं बरती जाती तब तक इसका अन्त नहीं होगा। वास्तव में यह किसी भी सरकार की परख है जोकि जनता की भलाई के लिये देश पर शासन करना चाहती है।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : **
श्री ज्योतिर्मय बसु (डायामण्ड हार्बर) : **
चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : **
अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

**कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।
Not recorded.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कनारा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। 6-8-77 को हरिजनों पर अत्याचारों के संबंध में हुई चर्चा के समय गृह मंत्री द्वारा यह कहने पर कि यह चर्चा अगले सत्र तक के लिए स्थगित की जाये तथा तब उसे पूरा एक दिन, उससे अधिक नहीं, दिया जाए, आपने कहा था कि हम इसे अगले सत्र में ही लेंगे और अब और देर तक बैठने का कोई औचित्य नहीं है।

उस समय इस संबंध में सभा के सामने कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया था। ऐसा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए था और उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। आपने सभा की सहमति नहीं ली थी।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने के लिये समय नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगू सराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। परसों इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। विपक्षी नेता उसी समय इन बातों को उठा सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

SHRI SHEO NARAYAN (Basti)**

श्री श्याम नन्दन मिश्र**

****व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : आप सब गृह मंत्री को सुनना चाहते हैं।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : विपक्ष के नेता के भाषण समाप्त करते ही, मैं बोलना चाहता था परन्तु मुझे ऐसा करने नहीं दिया गया। मुझे इसका खेद है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके द्वारा इस वक्तव्य को दिए जाने से पहले ही मैंने अपने कार्यालय को हरिद्वार की घटना के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्ट को भेजने के लिए कहा था। जहां तक रतलाम के निकट हुई घटना का संबंध है इस बारे में मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। मैं अपने सचिवालय को वहां से भी रिपोर्ट मंगाने के लिए कहूंगा।

विपक्ष के नेता ने कहा है कि स्थिति बदतर होती जा रही है। यदि अभी भी सामन्तवादी जमींदारों का बोलबाला है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जहां तक अपराधों की संख्या सम्बन्धी सरकारी आकड़ों का प्रश्न है अप्रैल 1977 से जून 1977 तक हरिजनों के विरुद्ध किए गए अत्याचारों के मामलों की संख्या प्रत्येक राज्य में, केवल विरोधी दल के नेता के राज्य महाराष्ट्र को छोड़कर, सबमें घटी है।

**कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।
Not recorded.

सभा के कार्य के बारे में

RE: BUSINESS OF THE HOUSE

श्री बी० राचैया (चामराजनगर) : मैंने एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने के लिए एक पत्र लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गाँधीनगर) : शनिवार को हरिजनों पर अत्याचारों के विषय पर अगले सत्र में एक पूरा दिन चर्चा के लिए रखने की बात से दो मुद्दे उठते हैं। हो सकता है गृहमंत्री ने यह सुझाव दिया हो कि इस विषय पर आगे और चर्चा हो परन्तु संसदीय कार्य मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इस विषय पर इस या किसी अन्य सत्र में बहस होगी। दूसरे इस संबंध में विधिवत प्रस्ताव नहीं रखा गया। इस परिस्थिति में चर्चा को अगले सत्र के लिए स्थगित कैसे किया जा सकता है? यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो मेरा कहना है कि आज स्थगित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो।

हरिजनों पर अत्याचारों के मामले पर आज चर्चा जारी रखी जानी चाहिए। तथा गृह मंत्री को बताना चाहिए कि सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है जिससे हरिजनों पर अत्याचार न होने पायें। अगले सत्र तक इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमें और समय मिल जायेगा। लेकिन चर्चा करने मात्र से ही हरिजनों पर अत्याचार होना समाप्त नहीं हो जायेगा। हम चाहते हैं कि हरिजनों पर ऐसे अत्याचार अब आगे न हों।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, संसदीय कार्य मंत्री यहां नहीं थे। लेकिन यह संयुक्त जिम्मेवारी है और कोई भी मंत्री कह सकता है। जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, इस संबंध में कोई भी औपचारिक प्रस्ताव नहीं था। लेकिन यह मामला मैंने सदन के समक्ष रखा और सदन का मत यही था। इस प्रस्ताव को स्थगित करने के बारे में किसी सदस्य ने आपत्ति नहीं की थी। अतः यह प्रश्न भी समाप्त हो जाता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

"कोका कोला कम्पनी द्वारा अपना निर्यात दायित्व पूरा करने तथा पूर्णरूपेण भारतीय उत्पादों से पेय पदार्थ बनाने से इन्कार किया जाना"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहारबर) : मैं उद्योग मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उन से प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"कोका कोला कम्पनी की वर्तमान स्थिति अपना निर्यात दायित्व पूरा करने तथा पूर्ण रूपेण भारतीय उत्पादों से पेय पदार्थ बनाने से उसके इंकार और इसके कारखाने बन्द होने जिससे लगभग डेढ़ लाख कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं।"

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : भारत में कोका-कोला कम्पनी का पिछले 25 वर्षों का कार्य कलाप इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि एक विकासशील देश के निम्न प्राथ-

मिकता और अत्यधिक लाभ वाले क्षेत्र में कार्यरत एक बहुराष्ट्रीय निगम सम्बन्धित सरकार के सतर्क न रहने के कारण कितनी तेजी से पनप सकता है तथा इस प्रक्रिया में देश के कमजोर उद्योग के लिये कितना घातक सिद्ध हो सकता है।

2. कोका-कोला भारत में सन् पचास के प्रारम्भ में उस समय आया जबकि वास्तविक उपयोक्ता के आधार पर प्रतिवर्ष करीब 8 लाख रुपये मूल्य के आयातित कन्सेन्ट्रेटों से बोतल भरने के लिये बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और कानपुर में चार संयंत्र स्थापित किये गये थे। 1958 में कोका-कोला कम्पनी यू० एस० ए० को आयातित कच्चे माल से कन्सेन्ट्रेट (सांद्रण) का उत्पादन करने के लिए भारत में कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन नामक एक शाखा कम्पनी स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। इसका स्पष्ट उद्देश्य बोतल भरने वाले चार भारतीय संयंत्रों द्वारा कन्सेन्ट्रेट के आयात पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा की बचत करना था। इसे देश के भीतर इस स्पष्ट शर्त पर कन्सेन्ट्रेट का उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी कि उत्पादन की मात्रा केवल इतनी होगी जिससे बोतल भरने वाले चारों विद्यमान संयंत्रों की आवश्यकता पूरी की जा सके। लेकिन वास्तव में जो कुछ हुआ वह बिल्कुल विपरीत था। इस वास्तविकता का कि उत्पादन के लिये औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र में स्वीकृत क्षमता की कोई कल्पना नहीं की गई है, लाभ उठाते हुए कम्पनी ने अगले कुछ ही वर्षों में अपनी क्षमता का पर्याप्त विस्तार कर लिया तथा सरकार की औपचारिक अनुमति प्राप्त किये बिना ही सांद्रण का उत्पादन 3 लाख प्रति वर्ष से बढ़ाकर 26 लाख कि० ग्राम प्रतिवर्ष कर लिया इससे कम्पनी को देश के विभिन्न भागों में 1970 तक स्थापित बोतल भरने वाले 22 भारतीय संयंत्रों को कन्सेन्ट्रेट की सप्लाई करने की सामर्थ्य हो गई तथा मृदु पेय उद्योग में इसका स्थान सबसे ऊंचा गया।

3. 20 प्रतिशत की उदार निर्यात प्रतिपूर्ति हकदारी के कारण कम्पनी सचिव के लिये कन्सेन्ट्रेट के लिये कच्चा माल आयात करने की अनुमति मिल गई, यद्यपि बाद में किए गये अध्ययन से यह पता चला कि कन्सेन्ट्रेट में आयातित तत्व की मात्रा केवल 4.5 प्रतिशत है। उसके बाद जब उनकी आयात हकदारी को 20 प्रतिशत से घटाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया तो कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन ने अभ्यावेदन दिया कि वे बोतल भरने वाले सभी 22 संयंत्रों की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकेंगें हालांकि जैसा मैंने पहले उल्लेख किया है कि उनका कन्सेन्ट्रेट उत्पादन केवल बोतल भरने वाले पहले चार संयंत्रों को ही सम्भरण करने के लिये स्पष्ट रूप से सीमित किया गया था। निश्चित तथ्य के आधार पर एक दूसरा अध्ययन किया गया तथा कम्पनी के वर्ष 1975 के कार्य निष्पादन के आधार पर 4.50 प्रतिशत की निर्यात प्रतिपूर्ति अर्हता के अलावा इसकी वास्तविक उपयोक्ता हकदारी 16 लाख प्रतिवर्ष निर्धारित की गई। किन्तु संसद के भीतर और बाहर व्यापक जनमत के कारण 1973-74 से हर दो वर्षों के बाद वास्तविक उपयोक्त लाइसेंस और निर्यात प्रतिपूर्ति हकदारी में क्रमश: 11 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत कम कर देने का निर्णय किया गया।

4. जैसा कि इसके नाम से विदित होता है कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन स्थापित करने का दूसरा उद्देश्य निर्यात बताया गया था कम्पनी द्वारा न बनाये गये माल सहित 1958 से लेकर 1976 तक कुल मिलाकर 11.12 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था। फिर

भी कम्पनी द्वारा आयात की जा रही तथा अन्य भेजी जाने वाली रकम की सीमा निश्चित करने के उद्देश्य से केवल कंपनी द्वारा निर्यात के लिये बनाई गई वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ऐसा निश्चय किये जाने के बाद 1976 में कम्पनी ने स्वयं न बनाये जा रहे पदार्थों का निर्यात करना छोड़ दिया था। कंपनी द्वारा निर्यात किये जाने वाले कन्सेन्ट्रेटों का वास्तविक मूल्य सन्देहात्मक बना रहा। सरकार द्वारा किये गये एक अध्ययन से पता चला है कि कंपनी के लिये आयात की जाने वाली वस्तुओं तथा कन्सेन्ट्रेटों के मूल्यों में समन्वय करना संभव था क्योंकि दोनों की देखरेख मूल कंपनी की विभिन्न शाखाओं द्वारा की जाती रही है तथा उसके समस्त कार्य संचालन का अमरीकी कंपनी के मुख्यालय से घनिष्ट और सीधा संबंध था। अतएव, शायद यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वस्तुतः निर्यात बन्द हो गया था तथा कंपनी ने 1976-77 में लगभग 1.84 लाख रुपये के मूल्य का निर्यात किया था।

5. यह सर्वविदित है कि कंपनी ने विदेशी मुद्रा के रूप में रकम भेजकर जो लाभ अर्जित किया है वह भारत में किये गये विनियोजन के अनुपात से पूर्णरूपेण असंगत है। कम्पनी द्वारा भारत में नकद राशि, संयंत्र तथा मशीनों के रूप में किया गया मूल विनियोजन 6.60 लाख रुपय था। 1958 से 1974 की अवधि में उसने आयात, लाभ देश के कार्यालय, सेवा प्रभारों आदि के रूप में 6.87 करोड़ रुपये की रकम भेजी थी। कंपनी ने इसी अवधि की जो रकम अभी भी भेजी जाने के बारे में बताया है वह 3.69 करोड़ रुपये है और इस प्रकार कुल मिलाकर यह रकम लगभग 10 करोड़ रुपये हो जाती है। यह राशि उसी अवधि में निर्यात से हुई 9.92 करोड़ की कुल आय से अधिक है जो विदेशी मुद्रा के रूप में बाहर भेजी गई। आगे के वर्षों के आकड़ों की अभी जांच की जा रही है। कम्पनी पर लगाये गये इस प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए कि बाहर भेजी जाने वाली कुल राशि सम्पूर्ण निर्यात से होनी वाली आय के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये और निर्यात का मूल्य कुल निर्यात के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये; कम्पनी को कच्चे माल के लिये और अधिक आयात लाइसेंस जारी करना संभव नहीं हो सका है।

6. कम्पनी द्वारा 'कोका-कोला' जैसे विदेशी ब्रांड नामों के इस्तेमाल के बारे में भी समस्यायें उत्पन्न हुई हैं। कम्पनी द्वारा किये गये लाइसेंस करारों के अनुसार उपयोक्ता को कोई भी रायल्टी अथवा अन्य किसी प्रकार के प्रतिकूल भुगतान नहीं करना पड़ता है। फिर भी, यह निर्णय किया गया है कि करार में दिये गये प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार कम्पनी द्वारा केवल उपयोक्ता को दिये गये कन्सेन्ट्रेट (सांद्रण) ही प्रतिकूल समझे जायेंगे। यह भी पाया गया कि ये कन्सेन्ट्रेट (सांद्रण) भारतीय कम्पनियों को बहुत अधिक लाभ (लगभग 400 प्रतिशत) पर बेचे जाते हैं जिनमें रायल्टी का बहुत बड़ा अंश छिपा होता है। इन मामलों पर अब रिजर्व बैंक ध्यान दे रहा है जो कि इन ब्रांड नामों का प्रयोग जारी रखने के आवेदनों पर विचार कर रहा है।

7. अब मैं इस कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों को लागू किये जाने के महत्वपूर्ण मामलों पर आता हूं। कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन इस समय कोका-कोला कम्पनी, यू० एस० ए० की पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा है। चूंकि यह एक कम प्राथ-

मिकता वाला उद्योग है जिसके लिये सूक्ष्म टेक्नोलाजी की आवश्यकता नहीं पड़ती और कम निर्यात की संभावना होने के कारण रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अप्रैल, 1977 में ये आदेश जारी किये थे कि इस कारपोरेशन को एक भारतीय कम्पनी के रूप में बदल जाना चाहिये जिसमें एक वर्ष के अन्दर अर्थात अप्रैल, 1972 तक 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी न हो। कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन एक भारतीय कम्पनी बनाने के लिये सहमत हो गया है; किन्तु अपनी स्वीकृति उसने इस प्रस्ताव के साथ दी है कि उसे अमरीकी कम्पनी के मिश्रणों 'सुरक्षित व्यापार रहस्यों' की 'गोपनीयता' के संरक्षण हेतु भारत में अमरीकी कम्पनी के 'किस्म और नियंत्रण और सम्पर्क कार्यालय' रखने की अनुमित दी जानी चाहिये। यह प्रस्ताव विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं ह क्योंकि प्रस्तावित भारतीय कम्पनी कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन वस्तुतः उसके कार्यों को अपने हाथ में न लेकर केवल कन्सेन्ट्रेटों को बेचने वाली कम्पनी के रूप में कार्य करेगी जिस पर तब भी निर्माण कार्य में अमरीकी कम्पनी का नियंत्रण रहेगा। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की व्यवस्था भारत में टेक्नालिजी के हस्तांतरण के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के भी प्रतिकूल होगी जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि तकनीकी जानकारी एक निश्चित समय सीमा के अन्दर पूरी तरह से भारतीय कम्पनी को दी जानी चाहिये। अतः रिजर्व बैंक ने कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन का आवेदन इस मामले में रद्द कर दिया है। अब यह अमरीकी कम्पनी के निर्णय पर निर्भर करता है कि क्या वह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों का पूरी तरह पालन करती है और प्रस्तावित भारतीय कम्पनी की तकनीकी जानकारी एवं कन्सेन्ट्रेटों के समिश्रण संबंधी कार्यों सहित सभी मौजूदा कार्यकलाप हस्तांतरित कर देगी अथवा विकल्प के रूप में अमरीकी कम्पनी भारत में अपना कारोबार बन्द करना पसन्द करेगी।

8. सरकार इस नीति का पालन करने के लिये वचन बद्ध है कि मृदु पेयों के निर्माण का भारतीय करण किया जाना चाहिए तथा इसके लिये विदेशी मुद्रा का बर्हिगमन नहीं होना चाहिए। सरकार समझती है कि भारतीय कम्पनियों को हानि पहुंचा कर एक बहुराष्ट्रीय निगम को देश के इस क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति देना वांछनीय नहीं होगा। इसलिये भारतीय तकनीकी के आधार पर पूर्णतया तथा देशी पेय निर्माण के लिए सरकार अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देती रही है मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने एक उपयुक्त सम्मिश्रण तैयार कर लिया है जो अब वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग के लिये उपलब्ध है। मुझे विश्वास है कि बोतल भरने वाली भारतीय कम्पनियां इस विकास का लाभ उठायेंगी तथा इस सम्मिश्रण पर अथवा अन्य उपर्युक्त सम्मिश्रणों पर आधारित देशी मृदु पेयों का निर्माण और बिक्री करने की सन्तोषजनक व्यवस्था करेगी। यदि ये प्रबन्ध शीघ्रता से किये जा सकें तो मुझे यकीन है कि बोतल भरने वाली भारतीय कम्पनियों द्वारा किये गये करीब 10 करोड़ रूपये का निवेश को बचाया जा सकता है तथा इस समय इन संयंत्रों में काम कर रहे लगभग 6000 कर्मचारियों को उनकी नौकरियों पर बरकरार रखा जा सकता है।

सरकार, इस उद्योग को तेजी से देशीकरण करने संबंधी भारतीय मृदु पेय निर्माताओं तथा बोतल भरने वाले भारतीय संयंत्रों को उपयुक्त सहायता प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर भी विचार करेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह अमरीकी स्वामित्व वाली बहुराष्ट्रीय गिरोह की एक कम्पनी है जिससे देश के मृदु पेय बनाने वाले लघु एवं कुटीर उद्योग बन्द हो गये हैं। कोका-कोला में नशा करने के सांद्र पदार्थ होते हैं, और इसके पीने वालों की अवधि विशेष के बाद कोका-कोला पीने आदत पड़ जाती है। इस कम्पनी में और बहुत सी बातें हो रही हैं। यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं। इसके प्रयोग से शरीर का विकास होना बन्द हो जाता है।

ऐसा पेय हमारे देश में अनेक वर्षों तक निर्बाध बेचा जाता रहा है। इसे फल उत्पाद के रूप में बेचा गया है। इसके लिये फल उत्पादों की शर्तों में संशोधन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय हित क्या है।

ग्रेप फैंटा में भी हानिकारक रंगों का प्रयोग किया गया जिनका अनुमोदन नहीं किया गया था। ये इतने अधिक शक्तिशाली हैं कि उन्होंने मुकद्दमा भी समाप्त करवा दिया है। इसके बाद पिछली सरकार ने समितियां गठित कीं जो दिखावा मात्र थीं। 1958 में केवल चार बोतल भरने के कारखाने थे, लेकिन 1976 में इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। मंत्री महोदय ने बताया है कि अनाधिकृत क्षेत्र के लिये 6.6 लाख रूपये की पूंजी थी जो गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए है फिर भी इसके मुनाफे पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इसका 90 प्रतिशत व्यापार विदेशी नियंत्रण में है।

इसकी वास्तविक धनराशि 10 करोड़ रुपये बताई गई है। लेकिन यह 25 करोड़ रुपये से भी अधिक है। 17 वर्षों में उत्पादन 900 प्रतिशत बढ़ा है। तदर्थ आयात लाइ-सेंस दिये गये।

कोका-कोला की एक बोतल का मूल्य 25 पैसे से बढ़ाकर 1.25 रुपये कर दिया गया है। यह बहुत अधिक है जो बीयर से भी मंहगा है। इसकी बिक्री कम हो गई लेकिन मुनाफा बढ गया है।

मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की अनु-संधान संस्थान में 1973 में एक अनुसंधान कार्य आरम्भ किया गया था जो दो वर्ष में पूरा हुआ। किन्तु पिछली सरकार ने उसे खटाई में डाल दिया था। क्या सरकार सदन भो स्पष्ट आश्वासन देगी कि निर्धारित अवधि में कोका-कोला का देश में उत्पादन और विपणन बन्द कर दिया जायेगा और साथ ही एक राष्ट्रीय मृदु पेय तैयार किया जायेगा जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो।

दूसरा प्रश्न यह कि सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है? सरकार इस पर 3 वर्ष तक मौन रही है।

श्री जार्ज फर्नांडिज : माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न किये हैं। मैं समझता हूं मेरे विस्तृत वक्तव्य में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जायेगा।

यह सही है कि कोका-कोला का प्रयोग करने वाले विकासशील बच्चों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इससे नशा भी होता है। ऐसा प्रतिवेदन है। इस दौरान और भी अनेक परीक्षण किये गये हैं। मुझे विश्वास है स्वास्थ्य मंत्री इनकी जांच करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

जहां तक कोका-कोला के मूल्य का सम्बन्ध है यह सच है कि आरम्भ में इसका मूल्य 25 पैसे बोतल था जो बाद में 1.25 रुपये कर दिया गया है। यह भी सही है कि कोका-कोला की खपत बहुत कम हो गई है। मूल्य बढ़ाने से मुनाफा बढ़ेगा ही।

यह भी सच है कि केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने 1973 में भारतीय सांद्र पदार्थों का उत्पादन करने के बारे में अनुसंधान कार्य आरम्भ किया जो 1975 में पूरा हो गया था। किन्तु उसके परिणाम की जानकारी न होने और उसके वाणिज्यिक उपयोग न किये जाने के कारणों की जांच कराई जायेगी और मैं इस बात का आश्वासन देता हूं।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने स्वदेशी सांद्र पदार्थ तैयार कर लिया है और भारतीय बोतल भरने वाले इस मृदु पेय का विपणन करने के लिये तैयार हो जायेंगे तो हम यह व्यवस्था अवश्य करेंगे।

SHRI ARJUN SINGH BHADAURIA (Itawa) : It is good step to leave Coca Cola because it is a foreign drink but the Hon. Minister should consider about its indigenous substitute. A new Industry shall have to be set up for this purpose. A suitable drink from milk and cured should be prepared that drink will be nutritions for health.

SHRI GEORGE FERNANDES : I fully appreciate the views of the Hon. Member. But it would be difficult for the Government to prepare such a drink at Government level. It is very strange that Coca Cola had gone to those villages where our premises Government could not provide even drinking water. It will be our earnest endeour to provide drinking water in those villages.

पारपत्र देने सम्बन्धी पुनरीक्षित तथा उदार नीति बनाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* REVISED AND LIBERALISED POLICY FOR GRANT OF PASSPORT

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : विदेशी मामलों पर हुई बहस का उत्तर देते हुए मैंने इस सदन में यह कहा था कि मैंने जब से पदभार संभाला है तब से मैं इस बात पर विचार करता रहा हूं कि पासपोर्ट जारी करने में जो विलम्ब होता है उसे किस प्रकार कम किया जा सकता है। इस प्रश्न के महत्व के प्रति मैं पूरी तरह सजग हूं और कई माननीय सदस्यों ने भी इसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है।

मैंने यह निश्चय किया था कि पासपोर्ट जारी करने की वर्तमान पद्धति पर मैं पूर्णरूपेण विचार करूंगा ताकि यह पता लग सके कि वर्तमान पद्धति को हम कहां तक सरल बना सकते हैं जिससे कि आवेदकों को कम से कम कठिनाई और असुविधा हो, विशेषकर देश के कमजोर वर्ग के लोगों को।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करूगा कि हम जो पासपोर्ट जारी करते हैं उनकी संख्या में प्रति वर्ष असाधारण वृद्धि होती गई है। उदाहरण के लिये 1972 में हमने केवल 1.6 लाख पासपोर्ट जारी किये थे, किन्तु 1976 में, यानी विगत वर्ष में, जिसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, इनकी संख्या लगभग 6 लाख हो गई है। अनुमान है कि चालू वर्ष में इनकी संख्या 8 लाख तक पहुंच जायेगी और अगर यही प्रवाह

बना रहा तो यह अनुमान उचित ही होगा कि आगामी कुछ वर्षों में हम प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक पासपोर्ट जारी करने लगेंगे ।

इसी पृष्ठभूमि में मैं माननीय सदस्यों को उस नई सरल पद्धति के विषय में बताना चाहूंगा जिसे लागू करने का हमारा प्रस्ताव है । भविष्य में पासपोर्ट उन सभी देशों के लिये दिये जायेंगे जिनके साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं । जाहिर है कि इनमें दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया जैसे देश शामिल नहीं होंगे जिन की सरकारों को हम उनके गैर-कानूनी और पृथक्तावादी स्वरूप के कारण मान्यता नहीं देते । दूसरे सत्यापन की वर्तमान प्रक्रिया की वजह से पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब होता है । अब तक सत्यापन प्रमाण-पत्र देने का अधिकार सरकार और एक खास स्तर तक के न्यायिक अधिकारी तक सीमित है । मैं यह महसूस करता हूं कि संसद के सदस्यों को, जो अपने यहां के लोगों के प्रतिनिधि हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से जिनका निकट सम्पर्क होता है, उन्हें भी इस प्रकार के सत्यापन (वेरीफिकेशन) प्रमाण-पत्र देने का अधिकार दिया जाना चाहिए । इसलिये मैं एक ऐसी पद्धति लागू करने का विचार कर रहा हूं जिससे कि संसद के सदस्यों को सत्यापन प्रमाण-पत्र देने की पूर्ण क्षमता प्राप्त होगी । लेकिन मुझे पक्की आशा है कि सदस्यगण इस प्रकार के प्रमाण-पत्र देने में पूरी-पूरी सावधानी और सतर्कता बरतेंगे और प्रमाण-पत्र पूर्णत: व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर ही दिये जायेंगे । इसके अतिरिक्त पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकारी जब उनसे इस बात की पूछताछ करेगा कि उक्त प्रमाण-पत्र उन्होंने जारी किया है तो वे शीघ्र इसका उत्तर देंगे ।

जहां तक पुलिस सत्यापन प्रक्रिया का प्रश्न है, हम एक ऐसी समान पद्धती लागू करने का विचार कर रहे हैं जिसका उद्देश्य सीधी-सादी और बुनियादी जानकारी हासिल करना होगा जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन और पूर्ववृत्त के विषय में गहरी छानबीन करने की जरूरत नहीं होगी और इस तरह यह उसके लिये परेशानी का कारण नहीं बनेगा । इस उद्देश्य से से हम राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर रहे हैं क्योंकि पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने का प्राथमिक दायित्व उन्हीं का है ।

इस समय पासपोर्ट के आवेदन पत्र सिर्फ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और जिला मुख्यालयों में ही सुलभ होते हैं । अब हमारा विचार यह है कि ये पासपोर्ट आवेदन-पत्र डाकघरों के माध्यम से भी उपलब्ध कराये जायें और इसके लिये थोड़ा सा शुल्क लिया जाये जिससे इस पर छपाई और वितरण की लागत वसूल हो सके । इस संदर्भ में मैं डाक एवं तार बोर्ड के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने कि परीक्षण के रूप में चयनात्मक आधार पर इस पद्धति को लागू करने में हमें सहयोग देना स्वीकार किया है ।

मेरा विचार है कि पृष्ठांकन देने की यह नई और उदार नीति 15 अगस्त से चालू कर दी जाये, हो सकता है कि इस परिवर्तन की प्रतिक्रया में प्रशासनिक विलम्ब हो लेकिन मैंने यह निर्देश दे दिये हैं कि इस तरह का विलम्ब कम से कम हो और नई प्रक्रिया को, जितनी तीव्रता से संभव हो, लागू किया जाये ।

यहां इस बात का उल्लेख कर देना मुनासिब होगा कि मैं नई नीति का उसके सभी पक्षों से, प्रभाव देखना चाहता हूं और इस बात का सुनिश्चय करना चाहता हूं कि पासपोर्ट

जारी करने की इस अपेक्षाकृत सरल और उदार प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हमारे नागरिकों पर, देश और विदेश में, कोई कुप्रभाव न पड़े। इसलिये मेरा विचार इस नीति की कार्य पद्धति पर एक वर्ष के बाद प्राप्त अनुभवों के आधार पर पुर्नविचार करने का है और अगर इसमें कोई दुरुपयोग अथवा कठिनाइयां नजर आयेंगी तो उन्हें ठीक करने की दृष्टि से आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे।

अपने इस वक्तव्य को समाप्त करने से पूर्व सभी संबंद्ध पक्षों से मैं यह सच्ची अपील करना चाहता हूं कि हमारी यह नई और सरलीकृत पद्धति बेईमान तत्वों द्वारा हमारे देशवासियों के शोषण का कारण न बन पायें। मैंने निर्देश दे दिये हैं कि जब कभी नया पासपोर्ट जारी किया जाये, धारक को इस बारे में समुचित रूप से सावधान कर दिया जाना चाहिये कि वह विदेशों में प्रवेश के नियमों को जान ले और जहां का वीज़ा लेना आवश्यक हो वहां का वीज़ा ले ले। अगर पासपोर्ट धारी रोज़गार के लिए विदेश जा रहा हो तो उसे इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि इसके पास पक्की रोज़गार संविदा है या किसी निकट संबंधी द्वारा प्रायोजित किया गया है जो उसके भरन-पोषण की कुछ जिम्मेदारी ले सकता हो। हमें यह भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि ये पासपोर्टधारी, विदेशों में अपनी यात्रा के दौरान, विदेशों से प्राप्त नकली प्रस्तावों की वजह से, कहीं फंस न जाएं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर जनमत को सदैव सजग रहना होगा।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मंत्री जी ने उस दिन आश्वासन दिया था कि बंगलौर में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में उन्होंने क्या कार्यवाही की है।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकुन्दपुरम) : मंत्री महोदय ने बताया है कि 1972-76 के बीच जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या 1.6 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गई। उन्हें आशा है 1977 में लगभग 8 लाख पासपोर्ट जारी होंगे। आंकड़ों से स्पष्ट है कि 1976 में जारी किए गए छः लाख पासपोर्टों में से 1.5 लाख पासपोर्ट केरल से थे। एरणाकुलम कार्यालय में काफी भीड़भाड़ रहती है पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन लोगों को इस उदार नीति का लाभ तभी होगा जब अधिक कार्यालय खोले जाएं और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। कालीकट अथवात्रि वेन्द्रम में एक और कार्यालय खोलने की आवश्यकता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मैं यह जानना चाहता हूं कि पासपोर्ट जब्त करने के मामले में विदेश मंत्रालय की स्थिति क्या है? कुछ मंत्रालयों ने आर्थिक अपराधियों के संबंध में कुछ सिफारिशें दी थीं लेकिन विदेश मंत्रालय ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया है और कुछ आर्थिक अपराधियों के पासपोर्ट जब्त नहीं कराए जा सके हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं विदेश मंत्री के वक्तव्य का स्वागत करता हूं। सभी लोग पासपोर्ट के लिए एक प्रकार की उदार नीति चाहते थे। यह सच है कि कुछ वर्षों के भीतर पासपोर्ट लेने वालों की संख्या 10 लाख तक पहुंच जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ इसलिए प्रक्रिया को सरल नहीं बनाना है। यदि पासपोर्ट बहुत आसानी से दिये जाने लगेंगे तो बाद में कुछ खतरे पैदा हो सकते हैं। संसद के सदस्यों को भी पासपोर्ट की अर्जी पर हस्ताक्षर करने की अनुमति होनी चाहिए। यदि सरकारी विभाग का उप

सचिव अर्जी पर हस्ताक्षर कर सकता है तो संसद सदस्य क्यों नहीं कर सकता। इस सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। जो लोग हमारे हस्ताक्षर लेने आएंगे हम उनके बारे में पुलिस के अधीक्षक को रिपोर्ट देने के लिए कहेंगे क्योंकि हमारे लिए सभी लोगों को अच्छी तरह जानना संभव नहीं है, और यदि वास्तविकता जाने बिना हम हस्ताक्षर कर देंगे तो उसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। अतः यह सारा काम बहुत सावधानी से करना होगा।

यह कहा गया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रपत्र अब क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त डाकघरों द्वारा भी दिए जाएंगे। यह एक अच्छा कदम है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद के क्षेत्रीय कार्यालयों में समुचित स्टाफ नहीं है और वहां जो लोग कार्य कर रहे हैं वे इस क्षेत्र की भाषा नहीं जानते जिसके कारण बहुत कठिनाई होती है। मंत्री महोदय इन बातों की ओर ध्यान दें।

SHRI MAHI LAL (Bijnor) : Lakhs of rupees of cane growers are due on Mill owners. I request the hon'ble Agriculture Minister through you, that he should give a statement in this regard..... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : कई नए सदस्यों को नियम 372 के बारे में अच्छी तरह जानकारी नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस नियम के अन्तर्गत लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाता है किन्तु जब वक्तव्य दिया जाये तो उस पर प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

एक माननीय सदस्य : आपने कुछ सदस्यों को तो अनुमति दे दी।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी 540 सदस्यों को तो अनुमति नहीं दे सकता।

SHRI UGRASEN (Deoria) : Mr. Speaker, as you have just stated, no question shall be asked at the time the statement is made. I want to know that if the statement is not clear, can we ask for clarification ?

अध्यक्ष महोदय : चाहे वक्तव्य अस्पष्ट ही क्यों न हो आप नियम 372 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते। आप बाद में, इस पर चर्चा हो, प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए मैं कोई और प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देता।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : चूंकि आपने कुछ सदस्यों को विचार प्रगट करने की अनुमति दी है, मुझे भी अनुमति दीजिए कि मैं .....

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। मैं और प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगा है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप स्पष्टीकरण देने लगेंगे तो इसका कभी अन्त नहीं होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री श्यामनन्द मिश्र ने आरोप लगाया है, मुझे उसके खंडन का अवसर दीजिए।

SHRI MANI RAM BAGRI (Mathura) : Mr. Speaker, Sir, I want to raise a point of order. My submission is that Passport system should be done away with in regard to Pakistan and Bangla Desh. May I know from the Hon. Minister whether he is taking action in this direction ?

श्री एस० कुन्डू (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, सदस्यों को प्रश्न पूछने और स्पष्टीकरण मांगने के लिए अनुमति देने का अधिकार आपके पास है और उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपने अभी कुछ सदस्यों को वक्तव्य के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी और अब आप मना कर रहे हैं। सारे 544 सदस्य तो प्रश्न नहीं पूछना चाहते, केवल 5–6 सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप उन्हें कृपया एक-एक मिनट का समय दे दीजिए।

मंत्री महोदय भी श्री श्यामनन्द मिश्र द्वारा लगाए गए आरोप का खंडन करना चाहते हैं। उन्हें भी अवसर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : नियम 372 के अन्तर्गत प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन कभी कभी अगर स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है तो उसकी अनुमति दे दी जाती है। किन्तु अगर प्रश्नों के रूप में वाद-विवाद होने लगे तो अध्यक्ष उसे रोक सकता है और अब यही स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए मैं इस बारे में और प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहा ।

माननीय विदेश मंत्री को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया जाएगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या मैं अपनी स्थिति स्पष्ट·····

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया बैठ जाइए । यदि वरिष्ठ सदस्य भी सहयोग नहीं देंगे तो सभा की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : नियम 357 के अन्तर्गत मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । मैंने यह कहा था कि ऐसी खबर मिली है कि कुछ ऐसे लोगों के, जिन्होंने आर्थिक अपराध किए हैं, शायद पहले मैंने 'आर्थिक अपराधी' शब्दों का प्रयोग किया था, पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा जब्त नहीं किए गए हैं। कुछ अन्य मंत्रालयों ने उनके पासपोर्ट जब्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने उन सिफारिशों की ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं केवल स्थिति स्पष्ट कराना चाहता हूं क्योंकि इस संबंध में कुछ नामों का उल्लेख किया गया है और वह अभी भी मुझे याद हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब तक मंत्री स्थिति स्पष्ट न करें तब तक प्रश्न पूछने का कुछ लाभ ही नहीं। हालांकि इस संबंध में कोई नियम नहीं है, पर एक बार यदि आप सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे देते हैं तो आपको मंत्री महोदय को भी उत्तर देने का अवसर देना चाहिए । अन्यथा स्पष्टीकरण मांगने का क्या लाभ ?

अध्यक्ष महोदय : यह मात्र एक सुझाव है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं माननीय सदस्य और सभा की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय पासपोर्ट जब्त करने के मामले में परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं। समाचारपत्रों में जो कुछ कहा गया है वह सही नहीं है। दोनों मंत्रालयों के बीच पूर्ण समन्वय है।

श्री वयालार रवि (चिरचिकील) : मैं मद संख्या 12 के संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब यह मंत्रालय जार्ज फर्नान्डिस के अधीन था तो उन्होंने इस सभा में एक नीति वक्तव्य दिया था और हमने यह समझा कि यह सरकार की नीति थी। लेकिन अब मंत्री बदल गए हैं और नीति के कुछ पहलू भी बदल दिए गए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार के मंत्रियों में परिवर्तन के अनुसार नीतियों में भी परिवर्तन किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सरकार हमेशा अपनी नीति में परिवर्तन कर सकती है।

डाक और दूर संचार सेवाओं सम्बन्धी नीति के कुछ पहलुओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *Re* : SOME POLICY ASPECTS RELATING TO TELECOMMUNICATION AND POSTAL SERVICES

THE MINISTER OF COMMUNICATION (SHRI BRIJ LAL VERMA) : I would like to inform the House about certain broad policy changes which I am contemplating in the Ministry of Communications. The Primary thrust hereafter will be greater emphasis on the development of telecommunication and postal facilities in the rural and backward areas of the country, and improvement in the quality of service all over.

Under the old policy, telephone and telegraph facilities were being extended to all district headquarters, sub-divisional headquarters, tehsil headquarters, block headquarters and places with a population exceeding 10,000. I have now issued instructions that provision of telephone and telegraph facilities also be planned for all places having a population of 5,000 and above in rural areas, and 2,500 and above in backward and hilly areas without examining the proposals in the terms of expected revenue. Under this policy, about 2,000 more Public Call Offices and telegraph offices are likely to be opened.

In order to extend telecommunication facilities further to still smaller places in the rural areas, I have issued instructions that telephone and telegraph facilities be provided at any place where there is a police station under the charge of a Sub-Inspector, on condition that a revenue of 25 per cent of the annual expenditure is earned, this condition being relaxed further to 15 per cent and 10 per cent of the annual expenditure, in backward and hilly areas respectively. Under this scheme, telephone and telegraph facilities are likely to be provided at about 1,000 more places.

Telephone and telegraph facilities under the new policy are thus expected to be provided in approximately 4,000 more places of which about 1,000 are those pending under the previous policy and extension to 3,000 villages is envisaged under the new policy. It is our intention to cover these places within the next two years; 2,000 being covered during the current year and the balance during 1978-79 which is the last year of the Fifth Plan. This could be compared with the achievement of the last three years when in all about 2,600 places were provided with such facilities.

Post offices are at present functioning in over 108 thousand villages in the country. During the current year, we have planned to open 3,100 more post offices in villages. In addition, postal counter facilities through mobile post offices are planned to be extended to 50,000 more villages during the current year. Post-masters will go on cycles and provide mobile post office services in neighbouring villages. With the completion of this scheme, postal counter facilities such as sale of postal stationery, booking and delivery of registed articles, parcels and money orders, etc., are likely to become available in over 162 thousand villages by the end of the year.

Letter boxes for posting letters are at present installed in two lakh villages in the country. A scheme has been drawn up to instal new letter boxes in another one lakh villages during this year.

Daily dak delivery scheme, as you are perhaps aware, is expected to be extended to nearly all the villages in the country by the end of this year.

The measures now proposed are expected to extend during this year, postal counter facilities and letter box facilities to about 50 per cent more villages than the number having such facilities at present. Daily dak delivery is expected to be available by the end of this year in nearly all the villages, letter boxes in over 50 per cent of the villages and postal counter facilities in over 25 per cent of the villages.

The rationale behind the institution of Telephone Advisory Committees has been reviewed. Telephone Advisory Committees had earlier been set up for 96 town area telephone systems in the country. I have now decided to have one Telephone Advisory Committee for each State and Union Territory to advise the administration on telephone services in all the exchanges and Public Call Offices in the State including the rural areas. In addition, independent Committees will be set up in the large towns having more than 10,000 telephones. There would thus now be 49 Telephone Advisory Committees.

Also, I have now decided that the membership of these TACs. excluding the official Chairman and Secretary, will be limited to a maximum of 21. By these steps, I hope to bring about a closer and more intimate interaction between the users and the administration regarding the quality of the telephone service and its development on an equitable basis.

These Committees are expected to be reconstituted by the end of September, 1977 and will have a term of two years. Members of Parliament and Members of State Legislatures will be among the members of these Telephone Advisory Committees.

This restructuring of the Telephone Advisory Committees will not affect the Regional P&T Advisory Committees which will continue.

Work relating to the consolidation of the telecommunication network for providing quality service is being taken up on a priority basis.

To prevent failure of telephones during the rainy season, a special scheme for pressurisation of cables in the major telephone systems has been drawn up. There are about 12.500 Kms. of such cables in the major telephone systems. Out of this length, 3000 Kms. was pressurised over the last three years. The remaining 9,500 Kms. of cable is expected to be pressurised during the next two years, *i.e.* before the onset of the monsoon in 1979. Nearly half of this work is expected to be completed before the onset of next monsoon in 1978.

Special jelly-filled cables are also going to be extensively used. Provision of ducts for protection of the cables, particularly under the main roads or along important roads which are being permanently paved, is being planned to avoid extensive damage to these cables.

A special drive has been planned under which the exchange equipments are to be thoroughly checked and overhauled during the current year. Special emphasis is being laid for improving the performance of the Pentaconta Crossbar equipment. An expert technical

team will undertake this work. Another drive has been planned to inspect subscribers' telephone instruments and fittings. About 50 per cent of these all over the country are expected be fully attended to and overhauled this year and the rest next year. A special expert team is looking into the quality of the telephone instruments including the dials and would devise measures to improve their reliability and performance. For restructuring the organizational set up of the four large telephone districts, I have already set up a high level committee which has commenced its works.

Increased emphasis would be laid on the expansion and modernisation of our external telecommunication services. By the end of the year, we are planning to have direct satellite communication with 36 of the 39 countries which have standard Earth Stations looking at the Indian Ocean Intelsat satellite. We will make vigorous efforts to implement this scheme. Projects have been taken in hand for a direct tropos-catter link with U.S.S.R. and a submarine cable linking Madras with Malaysia. Modern gateway exchanges for international telephone and telex have been planned for Delhi and Bombay. The earth station at Dehradun has been equipped with capability to handle international television broadcasts. With the implementation of these schemes, India's external telecommunication services would be placed on a sound footing and become comparable with any in the world.

श्री वयालार रवि : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। गत सप्ताह मंत्री महोदय ने इसी विषय पर एक प्रैस वक्तव्य दिया था और अब वह नीति वक्तव्य दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने नीति वक्तव्य देते समय अपने मंत्रालय के विभिन्न विभागों के समूचे कार्यकरण के बारे में उल्लेख किया। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत अपनी बात कह रहे हैं। नियम 372 के अन्तर्गत आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। मंत्री महोदय आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

The international subscriber dialling telephone service, which is presently available on a part time basis between Bombay and London and between New Delhi and London will be extended to the whole of U.K. on a 24-hour basis by the end of September, 1977. By March, 1978, this service is expected to be extended to New York and Washington in U.S.A.

I am reviewing the present production capacities of the telecommunication equipment manufacturing units under my Ministry, *viz.* the Indian Telephone Industries, the Hindustan Teleprinters Ltd., and the P&T Factories, with the objective of increasing capacity to meet our total needs. It will be my endeavour to make the country self-sufficient in production of high quality telecommunication equipment within the next 3 to 4 years.

The officers the staff and the Union representatives have been closely interacting with me since I took over charge. They have assured me of their full and unstinted support in providing a more efficient, reliable and high quality service. I am fully confident that with such high enthusiasm and unqualified assistance from all the staff, better results will be achieved in the near future.

मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MINISTER

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) Hon'ble Speaker,

On August 4, 1977, Shri Unnikrishnan had, while speaking on the Censure motion, made certain personal irrelevant and false allegations against me and Chowdhri Sahib. In that connection, I wish to make the position clear.

Dr. J. P. Singh who is the son-in-law of Chowdhri Sahib is a Surgeon in the Willingdon Hospital. On 24-3-72 be performed an operation on the abdomen of Shri Kateswar Nath. In the course of the operation, one pair of bakcok forceps was left in the abdomen. This was removed on March 28, 1972. Immediately after this incident, on April 4, 1972, Dr. L R. Pathak, who was at that time head of Surgery Department in the Willingdon Hospital and Dr. D. B. Bisht, who was the Medical Superintendent of the Hospital, did not find Dr. J. P. Singh to be blamed for this incident in any way. The then Director General of Health Services made the following noting connected with this episode :

> "Staff Nurse, Kunju Kutty, who relieved staff nurse, B. Abraham, during the course of operation on Shri Kateswar Nath at 1.35 p.m. has, in her statement, admitted that the surgeon at the time the operation ended had asked routinely if every count was O.K. and that she answered "Yes".
>
> xx xx xx
>
> Staff Nurse Kutty is accordingly responsible for having missed to count the number of instruments which were available with her after the operation had ended.
>
> xx xx xx
>
> I consider that the responsibility for the mishap is of the nurses who assisted the surgeon in the operation.
>
> xx xx xx

The above noting makes it clear that all these doctors did not attribute any responsibility to Dr. J. P. Singh for this mishap. On going through the file connected with this incident, it becomes obvious that the statements of Dr. S. C. Bhatia, Junior Medical Officer, Willingdon Hospital, Miss Kunji Kutti, Staff Nurse, Operation Theatre, A. Abraham, Sister incharge, Operation Theatre, B. Abraham, Staff Nurse, Operation Theatre and Dr. J. P. Singh, Senior Surgeon, were recorded. Since Miss Kunji Kutti, Staff Nurse, Operation Theatre, had owned responsibility for this mishap, on this basis as well as keeping in view other evidence the then Director General of Health Services, found the nurses who were assisting the Surgeon in the operation theatre at that time responsible for this mishap. On going through the file, it becomes evident that later without any additional evidence, the then Director General of Health Services had formed the opinion that Dr. J. P. Singh who had performed the operation was also to be blamed for the mishap along with the nurses. It needs to be mentioned that about 4 years after this incident, during the Emergency when political workers and their relatives could be hauled up on any false for true allegation, this matter too was taken up zealously and Dr. J. P. Singh who had not been held responsible for the mishap by any officer earlier was suddenly given a charge-sheet and action was initiated against him with full speed. Dr. J. P. Singh gave a detailed explanation in respect of the allegation, levelled against him. On analysing the explanation, even at the time when the officials were working under the dread of emergency, the office, in their note of 14-7-1976, suggested that Dr. J. P. Singh should be exonerated of the charge. On 17-7-1976, the Deputy Secretary concerned also gave the opinion that this matter should be ended. On 19-7-1976, the Joint Secretary concerned stated in his note that it was doubtful whether Dr. J. P. Singh could be held responsible for this incident and therefore, suggested that Dr. J. P. Singh should be given a verbal warning. On 21-7-1976, the then Secretary sought the opinion of the Director General of Health Services also. On 3-8-1976, the Director

General, Dr. Goel, who himself is an eminent Surgeon, concurred with the opinion of the Joint Secretary. The next day, on 4-8-1976, the then Secretary supported the opinion of the Joint Secretary and the Director General and observed that the warning should not find a mention in the character roll of Dr. J. P. Singh. However on the very next day, Dr. Karan Singh, the then Health Minister, ignoring the opinion of all the officers concerned in the Ministry, passed orders that the warning should be recorded in the character roll of Dr. J. P. Singh.

Dr. J. P. Singh had filed an appeal against this order even before the formation of the Janata Government. On this appeal, the Deputy Secretary suggested that the warning placed in the character roll of Dr. J. P. Singh should be removed by the Department. The Director General of Health Services also concurred with this suggestion. Taking the opinion of these people into consideration and in view of the recommendations given earlier, the Secretary also recommended that the warning should not be kept in the character roll of Dr. J. P. Singh. He also wrote that Dr. J. P. Singh is a competent officer and whatever mistake had occurred was to be attributed to the neglect of the nursing staff. On the basis of these notings by the office, I gave the following orders :

"I agree with the opinion of the Secretary. The warning should not be kept in the character roll."

Till then I did not even know that Dr. J. P. Singh was the son-in-law of Shri Charan Singh. I was not told anything about this incident either by Dr. J. P. Singh or Chowdhri Charan Singh.

From the above statement it is clear that Dr. J. P. Singh was wronged against because of political and personal vendatta. To un-do this wrong was my duty as well as the duty of my Department. The insinuation of Shri Unnikrishnan that I did all this at the instance of Chowdhri Charan Singh is absolutely untrue. Chowdhri Sahib has never spoken to me anything about this matter at any time but the truth is I have undone the injustice that was done to a competent Surgeon after consulting all the officers concerned in my Department. Sir, it is obvious that by going through the statement of Shri Unnikrishnan it is clear that without investing the facts of the case, he has levelled irrelevant, false, misleading and baseless allegations against me and against Chowdhri Charan Singh simply on the strength of rumours.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है । नियम 357 के अधीन कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से वैयक्तिक स्पष्टीकरण दे सकता है चाहे सदन के समक्ष इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न न भी हो परन्तु वाद-विवाद योग्य कोई मामला नहीं लाना चाहिए और उस पर वाद-विवाद नहीं होना चाहिए । मेरा तर्क यह है कि नियमानुसार उन्हें एक अग्रिम प्रति देनी चाहिये । यदि उसका अनुवाद नहीं है तो वह मेरी समझ में नहीं आयेगा । जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर वाद-विवाद होना ही चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा यह तर्क है । दूसरे, जो कुछ लिखित वक्तव्य में दिया गया है और जिसकी एक प्रति आपको अग्रिम रूप से भेजी गई उस से हट कर उन्होंने बोला है और वह रिकार्ड में गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा हुआ तो मैं उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा । मैंने केवल लिखित वक्तव्य की अनुमति दी है और मेरे पास वक्तव्य की एक प्रति है ।

मेरे निर्णयानुसार यह वाद-विवाद योग्य मामला नहीं है। यदि उन्होंने लिखित वक्तव्य से हटकर कुछ कहा है तो वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री राज नारायण : सभा के नियमों के अनुसार एक मंत्री अपने वक्तव्य में कुछ जोड़ सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : कौन से नियम ?

SHRI RAJ NARAIN : If there is any lacuna in our reply given in the House, the member, of the staff sitting here immediately send us slips indicating the lines according to which we read the replies. I have not said anything extra than what has been stated in the Statement.

श्री एम० सत्यनारायण राव : उन्होंने असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा। यदि कोई असंसदीय शब्द हुए तो मैं उन्हें निकाल दूंगा। मैं मूल वक्तव्य के अतिरिक्त किसी और बात की अनुमति नहीं दूंगा। मैंने मूल वक्तव्य की अनुमति दी है। उसमें वाद-विवाद योग्य कोई बात नहीं है। मैं इस पर आगे चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। मैं किसी भी व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। अब गृह मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

श्री वसन्त साठे : क्या कोई अनुपूरक कार्यसूची भी है? कार्यसूची में तो गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने की कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री ने आज प्रातः मुझे एक पत्र लिखा है कि वह (1) दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली के प्रारम्भ किए जाने और (2) दिल्ली के तत्कालीन उप-आयुक्त द्वारा 26 जून, 1975 को जारी किए गए एक मीसा वारंट की फोटोस्टेट प्रतिलिपि के प्रकाशन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहते हैं। मैंने वक्तव्य देने की उन्हें अनुमति दी है ।

दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली के प्रारम्भ करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* INTRODUCTION OF POLICE COMMISSIONER SYSTEM IN DELHI

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : महोदय

दिल्ली में पुलिस, 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम उपबन्धों द्वारा नियमित की जाती है, जिसमें सामान्य पर्यवेक्षण तथा पुलिस के कार्य पर जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यवस्था है। दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली प्रारम्भ करने का प्रश्न पिछले 20 वर्ष से जब से इस विषय में प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की थी सरकार के विचाराधीन रहा है। इस के बाद दिल्ली पुलिस आयोग जो खोसला आयोग के नाम से भी जाना जाता है ने 1968 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में दिल्ली में इस प्रणाली को आरम्भ करने की सिफारिश भी की थी।

पुलिस आयुक्त प्रणाली के बदले जाने के लाभ और हानियों पर समय-समय पर गहरायी से विचार किया जाता रहा था। निस्संदेह यह सच है कि कर्मचारियों के न केवल गुण बल्कि वह प्रणाली जिसके अन्तर्गत वे कार्य करते थे कार्य कुशलता तथा निष्पादन

को निश्चित करने में निर्णयक होगी। अतः पहले यह सोचा जाता था कि अधिकांशतः लाभ परिवर्तित प्रणाली के पक्ष में होगा। परन्तु आपात स्थिति के दौरान नवम्बर, 1976 में यह निर्णय लिया गया था कि परिवर्तन के बारे में खोसला आयोग की सिफारिश अस्वीकार कर दी जाए।

3. सरकार ने पुलिस के कार्य की जटिलताओं तथा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के उत्तरोत्तर शहरीकरण के कारण नई चुनौतियों का सामना करने तथा तेजी से बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए विषय पर पुनः विचार किया है। पुलिस आयुक्त प्रणाली बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के भूतपूर्व प्रेसीडैंसी शहरों में पुलिस संबंधी आधुनिक विचार के उदय होने से कार्य करती रही है और हैदराबाद, बंगलौर, नागपुर तथा पूणा के अन्य महानगरीय क्षेत्रों में जहां इसे बाद में आरम्भ किया गया था उपयोगी रूप से कार्य करती रही है। वर्तमान पुलिस में दुहरा कार्य निहित है-- वह पुलिस की मजिस्ट्रेसी प्रणाली की स्थितियों के अनुसार उसे शीघ्र कार्य करने से रोकती है तथा अपराध नियंत्रण और विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के उसके प्राथमिक कार्य में उसकी कार्य कुशलता पर असर डालता है। यह पुलिस में विश्वास की कमी का भी संकेत देती है अतः उसके साहस तथा उसकी कार्य कुशलता को भी नियंत्रित करती है। अतः मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने तथा इस राजधानी नगर में पुलिस की कार्य कुशलता को बढ़ाने के हित में सरकार ने पुलिस आयुक्त प्रणाली शुरू करने का निर्णय किया है। यह प्रयास किए जा रहे हैं कि नई प्रणाली को शीघ्र से शीघ्र कार्य रूप दिया जाए।

आपकी अनुमति से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को कानपुर महानगर में यह प्रणाली लागू करने के लिये सलाह दी है।

दिल्ली के तत्कालीन उप-आयुक्त द्वारा 26 जून 1977 को जारी किये गये एक मीसा वारंट की फोटोस्टेट प्रतिलिपि के प्रकाशन के संबंध में वक्तव्य ।

STATEMENT *RE.* PUBLICATION OF PHOTOSTAT COPY OF MISA WARRANT DATED THE 26TH JUNE, 1975 ISSUED BY THE THEN DEPUTY COMMISSIONER OF DELHI

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : महोदय,

इंडियन एक्सप्रैस के 28 जुलाई, 1977 के अंक में मीसा वारंट जो बताया जाता है कि 26 जून, 1975 को दिल्ली के भूतपूर्व उप-आयुक्त द्वारा जारी किया गया था कि एक फोटोस्टेट प्रतिलिपि के प्रकाशन का विषय परसों सदन में उठाया गया था और मैं आप की अनुमति से आज इस विषय पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

2. इस दस्तावेज का प्रकाशन जिसमें नजरबन्द किए जाने वाले व्यक्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया था हमारे लिए वास्तव में एक बड़ी चिन्ता का विषय हो गया था। बहुत से सदस्यों ने भी ध्यानाकर्षण प्रस्तावों तथा अल्प सूचना प्रश्नों के रूप में सदन में इस मामले को उठाने की चेष्ठा की थी। हमने दिल्ली प्रशासन से इस मामले से संबंधित सभी तथ्यों को मालूम करने तथा विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था। दुर्भाग्यवश दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के दिल्ली में गम्भीर बाढ़ स्थिति में व्यस्त रहने

के कारण, इस मामले में जांच का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हमें अभी तक केवल प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें दिल्ली के भूतपूर्व उपायुक्त श्री सतीश कुमार का स्पष्टीकरण है।

3. उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि 25 जून, 1975 की शाम को भूतपूर्व उप-राज्यपाल द्वारा आयोजित एक बैठक में उप-राज्यपाल ने विशिष्ट आदेश दिये थे कि विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं तथा उनके साथियों को तुरन्त मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया जाए और उप-आयुक्त को पुलिस द्वारा उनको दी गई सूचियों के आधार पर आदेश जारी करने चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि उप-राज्यपाल और तत्कालीन प्रधान मंत्री के निवास स्थान की ओर से निरन्तर यह दबाव बढ़ता जा रहा था कि गिरफ्तारी के वारन्ट शीघ्र जारी किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक नजरबन्दी स्वयं उनके द्वारा अनुमोदित कराई जाए। प्रत्येक मामले में वारन्ट की 5 प्रतियां तैयार करनी पड़ी थीं। परन्तु कुछ मामलों में वारन्ट के फार्म उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और अन्य व्यक्तियों को दिए गए थे।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मामला न्यायाधीन है। क्या यह सब बातें वहां नहीं जानी चाहिये। शाह आयोग बैठाया गया है। आप यह सभी साक्ष्य वहां क्यों नहीं देते? यहां पर वक्तव्य देकर लोगों की विचारधारा को बदलने और न्यायाधीश पर दबाब डालने के लिये यहां पर साक्ष्य पेश किया जा रहा है। ये सब बातें कल समाचारपत्रों में छपेंगी। आप भेदभाव नहीं कर सकते। जब बेलचीकांड पर चर्चा हो रही थी, तो आपने बेलची कांड पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दी? मैं आपका निर्णय चाहता हूं। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। **(व्यवधान)**

श्री चरण सिंह : स्पष्ट है मेरे माननीय मित्र अपनी सरकार के पापों को चिल्ला-चिल्ला कर छुपाना चाहते हैं। यह मामला न्यायाधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दूंगा।

मैं समझता हूं कि श्री साठे चाहते ही नहीं थे कि इस बात पर मैं विनिर्णय दूं। वरना वह मुझे निर्णय देने देते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया कि मैं विनिर्णय देना चाहता हूं। जहां तक आपत्ति उठाये जाने का सम्बन्ध है, सभा में बिना नाम के वारंट के बारे में प्रश्न पूछे गये हैं। समाचार पत्रों में ऐसा छपा है और गृह मंत्री जी से प्रश्न भी पूछे गये हैं। इसी बारे में वह एक वक्तव्य दे रहे हैं। क्योंकि बिना नाम के वारंट के बारे में समाचार पत्रों ने कुछ चीजें छापी हैं। इसलिए इसका जांच से कोई सम्बन्ध नहीं। आयोग द्वारा जांच की जाती रहेगी और उसके समक्ष वक्तव्य दियें जायेंगे। गृह मंत्री ने अपना विचार व्यक्त नहीं किया है। जो भी रिपोर्ट है उन्होंने वही बात कही है।

श्री वसन्त साठे : जब आपने विनिर्णय दे दिया है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री सी० के० जफर शरीफ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा था कि गृह मंत्री समाचारों में प्रकाशित बातों का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं लेकिन——

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : ***

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा की कार्यवाही में शामिल न किया जाए। कुछ मामलों में वारन्ट के फार्म उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गये थे और विभिन्न व्यक्तियों को नजरबन्द करने के अपने पहले निर्णय के आधार पर दूसरे व्यक्तियों को नाम तथा पूर्ण ब्यौरे भरने के लिये दिये गये थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि 26-6-75 को उनके द्वारा हस्ताक्षर किये गये किसी खाली मीसा वारन्ट के होने की संभावना से एकदम इंकार नहीं किया जा सकता, हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि उनके लिए पूर्ण उत्तर के लिए मूल फोटोस्टैट प्रति तथा अन्य सभी संबंधित दस्तावेज देखना आवश्यक होगा। दिल्ली प्रशासन के अनुसार उप आयुक्त द्वारा 26 जून, 1975 को गिरफ्तारी के 69 वारन्ट जारी किए गये थे।

4. मेरे लिए यह कहना जरूरी नहीं है कि यह एक गम्भीर मामला है और इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। दिल्ली प्रशासन से मामले से संबंधित सभी तथ्यों का पता लगाने और उसे शाह जांच आयोग के समक्ष रखने को कहा जा रहा है ताकि जैसा आवश्यक समझा जाये आगे जांच की जा सके। दिल्ली प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार भी अपनी ओर से, जैसा आवश्यक होगा, उचित कार्यवाही करेगी।

***सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया ?

आपात स्थिति के दौरान तिहाड़ जेल दिल्ली में कथित लाठी चार्ज के बारे में विवरण

STATEMENT *Re.* ALLEGED LATHI CHARGE IN TIHAR JAIL DURING EMERGENCY

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : आपात स्थिति के दौरान तिहाड़ जेल, दिल्ली में कथित लाठी चार्ज के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1390 के सम्बन्ध में 22 जून, 1977 को गृह मंत्री द्वारा दी गई कतिपय जानकारी के बारे में मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं उसके उत्तर में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

श्री कंवरलाल गुप्त : हम उन्हें सुनना चाहते हैं। मैं आश्वासन देता हूं कि हम कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा पटल पर रख दिया गया है। हम इसे आज परिचालित कर रहे हैं।

प्रो० दलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : गृह मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिये बगैर हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या कहा है और सभा आज के लिए स्थगित हो जायेगी। इसलिए कृपया उन्हें इसके लिये कहा जाये।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे आज परिचालित कर रहे हैं।

श्री अरविंद बाला पजनौर (पांडिचेरी) : सभा में जो वक्तव्य दिये जाते हैं हमें उनका अंग्रेजी अनुवाद नहीं मिलता। उसके बिना हम कुछ समझ नहीं सकते।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : हमें दोनों भाषाओं में अनुवाद मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जो कार्यवाही हिन्दी में होगी उसका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार अंग्रेजी की कार्यवाही के लिए हिन्दी अनुवाद दिया जायेगा। लेकिन उसमें कुछ विलम्ब हो सकता है। मैं कार्यालय को यह हिदायत दे दूंगा कि आपको जो अनुवाद न मिला हो वह उपलब्ध कराया जाये।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

अध्यक्ष महोदय : चूंकि आज इस सत्र का अंतिम दिन है, इसलिए मैंने नियम 377 के अधीन कई मामले उठाने की अनुमति दी है।

गंगा के पानी के बंटवारे के बारे में बंगलादेश से समझौता

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर): हम बंगला देश तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं। आयात और निर्यात की दृष्टि से कलकत्ता पत्तन देश का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन समझा जाता है। विशेषज्ञों की राय है कि कलकत्ता पत्तन को बनवाने उन महीनों के दौरान जबकि पानी की कमी होती है, कम से कम गंगा नदी का 40,000 क्यूसेक जल फरक्का बांध से छोड़ा जाना नितान्त आवश्यक है। अतः फरक्का बांध से गंगा जल छोड़ने के बारे में एक समझौता किया जाना चाहिये। ताकि हम कलकत्ता पत्तन को बचा सकें। नहीं तो पश्चिम बंगाल पर इसका बुरा असर पड़ेगा।

मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस महत्वपूर्ण मामले पर आज एक वक्तव्य दें।

(दो) जम्मू और काश्मीर में सड़कों का निर्माण

श्री बलदेवसिंह जसरोटिया (जम्मू): जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से रावलपिंडी और सुचेतगढ़ से स्यालकोट तक की सड़कों को खोलने के बारे में जम्मू कश्मीर के उपमुख्य मंत्री श्री मोहम्मद अफजल बेग का वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। यह लोक-हित का महत्वपूर्ण मामला है तथा सम्बन्धित मंत्री को इस पर सरकार द्वारा की गई कार्य-वाही पर वक्तव्य देना चाहिए।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER, *in the Chair*]

(तीन) आंध्र प्रदेश में सूखा राहत निधि का दुर्विनियोजन

श्री एस० ननजेशा गौडा (हसन) : वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान कर्नाटक के कई जिलों में वर्षा बिल्कुल भी नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप न तो वहां पीने का पानी है न भोजन और न ही पशुओं के लिए चारा है। भारत सरकार ने वहां एक केन्द्रीय दल भेजा था और कर्नाटक सरकार को राहत कार्यों के लिये करोड़ों रुपये दिए गए थे।

कई एजेंसियों को इस धन को उपयोग में लाने का काम सौंपा गया। राज्य विपणन सहकारी संघ को सूखे से प्रभावित परिवारों को भोजन, बीज, खाद इत्यादि सप्लाई करने का कार्य सौंपा गया। सहकारी संघ ने गरीब किसानों को बीज निशुल्क देने के बजाय कुछ जाली नाम दर्ज करके दिखा दिया कि ये बीज अमुक अमुक किसानों को दिए गए और इस प्रकार सारी राशि हड़प ली। इस राशि का कई राजनीतिक नेताओं द्वारा दुरुपयोग किया गया और इस समय वे उच्च पदों पर आसीन हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करें और इस संबंध में उचित कार्यवाही करें। यह लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में है, जिसे कांग्रेस के सदस्यों ने भी स्वीकार किया है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : वह इन सब बातों में कांग्रेस को घसीट रहे हैं — (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन से उद्धरण दे रहे हैं।

(चार) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इस महीने की चार तारीख को जीवन बीमा निगम के 47000 से अधिक कर्मचारियों ने पुराने समझौते के अन्तर्गत 15 प्रतिशत बोनस की मांग की। भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने इस समझौते में गैर-कानूनी तथा गलत ढंग से परिवर्तन कर दिया था।

जनता पार्टी ने चुनावों से पहले अपने चुनाव घोषणा पत्र में लोगों को आश्वासन दिया था कि कमजोर वर्गों कर्मचारियों आदि के साथ जो कुछ अन्याय हुआ है, उसे वे दूर करेंगे।

यदि जीवन बीमा निगम कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच हुए समझौते के अनुसार उन्हें बोनस न दिया गया तो स्थिति और खराब हो जायेगी। सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। अब चूंकि त्योहारों का समय नजदीक आ रहा है, सरकार को बोनस का मामला जल्दी निपटाना चाहिए। यदि त्योहारों से पहले इस मामले को नहीं निपटाया गया तो कर्मचारियों को विवश होकर एक आन्दोलन शुरू करना पड़गा। श्रम मंत्री यहां मौजूद हैं, उन्हें इस बारे में उत्तर देना चाहिए।

(पांच) महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद

SHRI KESHAVRAO DHONDGE (Nanded) : The boundary issue between Karnatak and Maharashtra is hanging fire for the last many years. It is an issue which involves 12 lakh Marathi speaking people in Belgaum, Nepani and Bidar. For the last 30 years, people of these areas are agitating for this. Only last month, the State Assembly of Maharashtra has passed a unanimous resolution in this regard. But so far nothing positive has been achieved. I would, therefore urge upon the Government to take immediate steps to solve this issue.

(छः) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ओनम त्यौहार पर अग्रिम धनराशि देना

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : केरल राज्य, जहां कि "ओनम" त्यौहार मनाया जाता है, में लगभग 48,000 केन्द्रीय कर्मचारी हैं। केरल सरकार अपने कर्मचारियों को यह त्यौहार मनाने के लिए अग्रिम धनराशि देती है, लेकिन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को इस त्यौहार के लिए पहले तो अग्रिम धनराशि दी ही नहीं जाती और अगर दी भी जाती है तो वह बहुत कम होती है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अपने कर्मचारियों को उचित निर्देश जारी करें ताकि ओनम का त्यौहार मनाने के लिये कर्मचारियों को अग्रिम धनराशि प्राप्त हो सके।

(सात) स्वर्गीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र की खराब हालत

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी (अनन्तनाग) : पार्लियामेंट स्ट्रीट के पार स्वर्गीय राष्ट्रपति, श्री फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। यह कब्र जीर्ण अवस्था में है। समची कब्र धंस रही है। यह कच्ची कब्र है। सरकार ने तब निर्णय किया था कि यहां पर अधिक खर्चीली नहीं बल्कि एक अच्छा सा स्मारक स्थापित किया जायेगा। यह कब्र बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सरकार को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए।

(आठ) गुजरात के किसानों को घटिया किस्म के बिनौले दिया जाना

श्री अनन्त दवे (कच्छ) : इस वर्ष किसानों को घटिया किस्म के बिनौले सप्लाई किए गए जिसके कारण उनकी कपास की फसल नहीं हुई। जो किसान कपास का उत्पादन करते हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। घटिया किस्म के बिनौलों के कारण उन्हें लाखों रुपयों का नुक्सान हुआ है। गुजरात में प्रति वर्ष कपास की भारी फसल होती है, किन्तु इस वर्ष वहां कपास की फसल नहीं होगी। देश में कपास के अभाव को देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि 14 लाख रूई की गांठों का आयात किया जायेगा किन्तु अब तो इसकी और भी कमी होगी। इसके लिये कपास उत्पादक दोषी नहीं हैं। बीजों का वितरण करने वाले ही इसके लिए जिम्मेदार हैं।

इससे हथकरघा बुनकरों को इस वर्ष पर्याप्त कपास नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच की जाये और दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जाये।

(नौ) मैसूर पेपर मिल

SHRIMATI MRINAL GORE (Bombay North) : Mysore Paper Mills in which the Government of Karnataka has majority shares has been given a licence to manufacture newsprint in 1975. If production starts there, it will save foreign exchange worth lakhs' of rupees. Now this Mill requires a loan of Rs. 32 lakhs from the Government financial

agencies for its phased development programme. But three private business houses are putting hurdles in the way because they want to capture this mill. I would, therefore request the Government ensure that the designs of these private business houses are frustrated and that immediate steps are taken to provide necessary funds for the Mill.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किस पर ?

श्री हरि विष्णु कामत: सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि यह व्यापक विधेयक है। इसे छोटे से विधेयक के रूप में संक्षिप्त रूप से नहीं निपटाया जा सकता।

मार्च की अहिंसा क्रान्ति के परिणामस्वरूप लोकतन्त्र की जो पुनः स्थापना हुई है, उसमें यह विधेयक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। मैं उसे स्वीकार करता हूं और मुझे खुशी है कि इसे पुरःस्थापित किया गया है। किन्तु इस समय, जबकि देश में बाढ़ की विनाश लीला चल रही है, यह विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए।

यह विधेयक बीच में टपक पड़ा है। मैं यह नहीं कहता कि इसकी तस्करी की गई है या किसी अन्य तरीके से यह लाया गया है। किन्तु यह विलम्ब से पेश किया गया है··· (**व्यवधान**)

मेरा विचार है कि यदि इस विधेयक पर अगले सत्र में विचार किया जाये तो विपक्ष के नेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी श्वेत पत्र पर भी चर्चा होनी है जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्री श्री लाल कृष्ण अडवाणी दो दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि विपक्ष मान जाए तो इस विधेयक पर चर्चा अगले सत्र में हो सकती है।

श्री ए० बाल पजनौर : बशर्ते कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाये· (**व्यवधान**)

श्री हरि विष्णु कामत : यदि आप सहमत हैं तो मैं आगे नहीं बढ़ता···· (**व्यवधान**) प्रक्रिया को समुचित ढंग से नियमित करने के बाद इस विधेयक पर विचार किया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि उन्होंने जो बातें बताई हैं वे मुझे सभा में यह विधेयक पेश करने से नहीं रोकतीं। जब मुझसे पूछा गया कि आप यह विधेयक सभा में कब पेश कर देंगे तो मैंने जवाब दिया था कि विधेयक तैयार नहीं है लेकिन हम यह विधेयक इस सत्र में पेश कर देंगे। अतः यह कहना गलत है कि यह विधेयक अकस्मात ही सभा में पेश किया गया है। मेरा अनुरोध है कि मुझे यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने आपको बता दिया है कि यह विधेयक कैसे आज आप के समक्ष है। यह विधेयक आज की कार्यसूची में है। हम इस विधेयक को एक घंटे में समाप्त कर सकते हैं।

SHRI UGRASEN : Mr. Deputy Speaker I want to draw the attention of the Government to a important matter.

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस तरह मत उठिये । पहले मेरी अनुमति लीजिए ।

संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन तथा भत्तों सम्बन्धी विधेयक

SALARY AND ALLOWANCES OF LEADERS OF OPPOSITION IN PARLIAMENT BILL

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विपक्ष के नेताओं को वेतन तथा भत्ता देने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह बहुत ही साधारण तथा छोटा सा विधेयक है । यह एक महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक विधेयक है । इस देश में पूर्ण तथा अधिक प्रभावी लोकतत्व स्थापित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पग है ।

इस सरकार की संसदीय प्रणाली में पूर्ण आस्था है । संसदीय लोकतन्त्र में विरोधी दलों का निश्चित और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है ।

सरकार यह मानती है कि लोकतन्त्र में जनमत ही सर्वोच्च होता है । और जनमत तभी तैयार हो सकता है जब कि इसके लिये आवश्यक उपकरण और साधन सब को समान रूप से उपलब्ध हों । अत: संसदीय लोकतन्त्र में बहुमत और अल्पमत का ध्यान रखना होता है । इसलिये संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दलों को आवश्यक अवसर सुविधायें और दर्जा दिया जाना बहुत ही आवश्यक है ताकि वे अपने उचित दायित्व को अच्छी तरह निभा सकें ।

भारत ही पहला देश नहीं है, जो इस प्रश्न पर विचार कर रहा है । अन्य देश जैसे कि इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड और लंका ने भी इस प्रकार के उपबन्ध किये हैं । हमारे देश में कई राज्यों ने इस प्रकार के विधान बनाये हैं । अत: यह कोई नई बात नहीं है । सरकार विरोधी दल को हर एक ऐसा अवसर देना चाहती है, जो कानूनी रूप से प्रभावशाली हो ।

संसदीय लोकतन्त्र में विरोधी दल राष्ट्रीय विकल्प का प्रतीक होता है । प्रशासन की सभी भूलचूक की कार्यवाहियों पर आंतरिक सर्तकता रखना इसका दायित्व है ।

हमारा विचार है कि बहुसंख्यकों का यह कर्तव्य है कि वह अल्प संख्यकों के अधिकारों की रक्षा करें और अल्प संख्यकों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बहुसंख्यकों का शासन करने का अधिकारी बना रहे । अल्पसंख्यक देश के हित के प्रति वफादार हों और इस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिये ।

इस विधेयक का उद्देश्य विरोधी दल के नेता को इस सदन में तथा दूसरे सदन में उचित मान्यता और दर्जा प्रदान करना है । इसमें विरोधी दल के नैता को ऐसी सुविधायें

भी प्रदान करने की कोशिश की गई है ताकि वह संसदीय लोकतंत्र में अपनी भूमिका भली-भांति निभा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :—

"कि विपक्ष के नेताओं को वेतन तथा भत्ता देने सम्बन्धी इस विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पर 4 नवम्बर, 1977 तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।"

श्री एम० वी० कृष्णप्पा (चिकबल्जापुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। कांग्रेस के शासन के दौरान यदि किसी विरोधी दल को मान्यता होती तो वह निश्चित ही अच्छा कार्य करके दिखाता चूंकि उनके शासन काल के दौरान किसी भी दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सीटें प्राप्त नहीं हुई इसलिये सरकार किसी भी सरकार को मान्यता प्रदान नहीं कर सकी। मेरा ख्याल है कि मान्यता प्राप्त करने के लिये समूची सभा की 10 प्रतिशत संख्या होनी चाहिये। हमें यह मानना ही पड़ेगा कि कांग्रेस ने ही देश की स्वतंत्रता के लिये आन्दोलन किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसने इस देश में लोक तांत्रिक संस्थाओं के उचित कार्यकरण के लिये सुदृढ़ आर्थिक आधार बनाया। आज देश में जनता ने इस दल को पूर्ण बहुमत दे रखा है ताकि यह दल सुचारू रूप से शासन चला सके। साथ ही मजबूत विपक्ष भी है जो कि सरकार के दोषों तथा कमजोरियों को प्रकाश में ला सकता है। लोकतंत्र ही इस विश्व में संतुलन रख सकता है। इसी तरह लोकतांत्रिक सरकार ही देश में संतुलन बनाये रख सकती है। 30 वर्षों के दौरान कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र के अच्छे कार्यकरण के लिये आर्थिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में विकास की पक्की नींव डाली। आज सत्तारूढ़ दल में कम से कम आधे लोग पुराने कांग्रेसी हैं। मैं अपने दल की ओर से आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सरकार को रचनात्मक सहयोग देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभा की मर्यादा किसी तरह कम न हो।

ऐसे लोगों के हाथ में लोकतंत्र का कोई भविष्य नहीं है। धर्मराज ने कहा आये दिन लोगों की मृत्यु हो रही है और फिर भी मनुष्य यह नहीं समझता कि उसे भी अवश्य मरना है · · · (व्यवधान) शायद आप सोच रहे होंगे कि आप यहां स्थायी रूप से रहेंगे · · · (व्यवधान) यही कारण है कि आपका रवैया इस तरह का है।

मुझे बताया गया है कि यह कोई नई बात नहीं है। ब्रिटेन तथा अन्य कई लोकतांत्रिक देशों में भी विपक्ष को इस तरह की सुविधायें उपलब्ध हैं। अन्य देशों में न केवल मान्यता प्राप्त दलों को ही नहीं वरन् विरोधी पक्ष के अन्य छोटे-छोटे दलों को भी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुझे आशा है कि वह दिन अवश्य आयेगा जबकि हमारे देश में विरोधी दल के नेता ही नहीं अपितु अन्य विरोधी ग्रुपों के नेताओं को भी ये सुविधायें मिलेंगी।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अब इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी लगभग 6 या 7 सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करने हैं। यदि वे मान जायें तो हम इस विधेयक को पास कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : कांग्रेस दल के माननीय सदस्य ने प्रजातंत्र के गुणों तथा प्रजातंत्र के नियमों को मजबूत बनाने में उनके दल द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख किया है। लेकिन हम आपात स्थिति के 20 महीनों में हुई घटनाओं को कैसे भूल सकते हैं। आपात स्थिति के दौरान प्रजातंत्र की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों ने इस सदन को ही नष्ट कर दिया, जिसका निर्माण उन्होंने 20 या 25 वर्षों में किया था। अब उन्हें प्रजातंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं है।

गत वर्ष तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष, श्री देवकांत बरूआ ने कहा था कि अब हमारे देश में प्रतिपक्ष निरर्थक हो गया है। जब उन्होंने ऐसा कहा तब किसी कांग्रेसी सदस्य ने इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। यदि उनका यही रवैया था तो इस बात की क्या गारंटी है कि उन्होंने अपना रंग बदल दिया है। केवल कहने मात्र से तो कुछ नहीं होता। वे शपथ लें और यह आश्वासन दें कि उन्होंने अपने दिलों और आत्माओं को वास्तव में बदल दिया है।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के दिल में प्रतिपक्ष के लिये जगह नहीं थी। गत दस वर्षों के दौरान वह दुर्भाग्यवश सत्ता में थी जिसके कारण लोगों को काफी कष्ट सहने पड़े। 'प्रजातंत्र का महत्व कम कर दिया गया। प्रजातंत्र को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया गया। और अन्ततः नष्ट कर दिया गया। जब प्रतिपक्ष ने आपात स्थित के दौरान एकता बनानी चाही तो भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने आपत्तिजनक बात कही कि प्रतिपक्ष को दबा दिया गया है, उसका खात्मा नहीं हुआ।

पश्चिम बंगाल विधान सभा ने सबसे पहले इस प्रकार का विधेयक पेश किया था। लेकिन तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता ने वे सब सुविधायें तथा वेतन लेने से इंकार कर दिया था जो कि विधेयक में दिए गये थे। हम प्रतिपक्ष के नेता से ऐसा करने की आशा नहीं कर सकते। उन्हें यह स्वीकार कर लें। मैं सैद्धान्तिक रूप से इस विधेयक का समर्थन करता हूं, विस्तार का समर्थन नहीं करता।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : इस विधेयक का उद्देश्य कांग्रेस दल के नेता को पूरे प्रतिपक्ष का नेता बनाना है। हम प्रतिपक्ष के गठन को देखते हुए इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे कई दल हैं, जिनके कार्यक्रम आदर्श नीतियां, मूल रूप से अलग-अलग हैं।

यह विधयक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अनुसरण का परिणाम है। यह विचार दो-दलीय प्रणाली से उत्पन्न हुआ है, जिसका जनता सरकार संसदीय चुनावों के बाद भारत में स्वागत कर रही है। किन्तु हम इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं।

दो दलीय प्रणाली क्या है? दो दलीय प्रणाली यह है कि जनता पार्टी के बदले में कांग्रेस फिर सत्ता में आयगी। भारतीय, वास्तविकतायें इंग्लैंड की वास्तविकताओं से अलग हैं। हमने विधान सभा चुनाव परिणाम देखें है। हमने कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल

पंजाब, पांडिचेरी तथा गोआ के चुनाव परिणाम देखे हैं। दक्षिण में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इस संदर्भ में दो दलीय प्रणाली बिल्कुल गल्त और अवास्तविक है। इससे भारतवासियों को सहायता नहीं मिलेगी। अतः इस विधेयक की पूरी विचारधारा बिल्कुल गल्त है।

विश्व काफी तरक्की कर गया है। संसदीय लोकतंत्र के अतिरिक्त इस समय कई समाजवादी देशों में नए प्रजातंत्र हैं। जन प्रजातंत्र, सोवियत प्रजातंत्र तथा सर्वहारा प्रजातंत्र है। विश्व इस ओर बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी एकतंत्रवाद के संदर्भ में संसदीय प्रजातंत्र कहीं आगे है। इस मामले में हम कांग्रेस की हार का स्वागत करते हैं। जिसने नरंकुशवाद और फासिस्टवाद को जन्म दिया था।

हम चाहत हैं कि प्रतिपक्ष के सभी दलों एवं वर्गों को एक सी सुविधायें दी जायें। हम प्रतिपक्ष के नेता के वेतन के बिल्कुल खिलाफ हैं। प्रतिपक्ष के नेता को अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाना चाहिये। प्रतिपक्ष के नेता तथा अन्य दलों के नेता उन्हीं बंगलों में रह कर काम कर सकते हैं, जिनमें वे रह रहे हैं। उनको बड़े बंगले नहीं चाहियें। उन्हें पूरे परिवार को समूचे देश में ले जाने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिये विधेयक में विशेष उपबंध किया गया है। हम इसके विरुद्ध हैं।

हम सचिवालय सम्बन्धी सहायता टेलीफोन रियायतें डाक-भत्ता, मोटर गाड़ी भत्ता आदि को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये रियायतें केवल प्रतिपक्ष के नेता को ही नहीं प्रतिपक्ष में सभी दलों और वर्गों को भी मिलनी चाहिए। इस विधेयक को प्रतिपक्ष के नेता तथा दलों के वेतन तथा भत्ता विधेयक कहा जाना चाहिए।

श्री अरविन्द बाल पजनौर (पांडिचेरी) : यह विधेयक पेश करने के लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। किन्तु साथ ही में यह भी कह दूं कि यह वास्तविक विधेयक नहीं है।

श्री समर मुखर्जी ने जो बातें कहीं हैं, उनमें से कई बातों से मैं सहमत हूं · · · (व्यवधान) हम इसे "सदस्यों का वेतन विधेयक" या "विपक्षी दलों" के वेतन तथा सुविधाएं विधेयक नहीं कह सकते। यह तो विपक्षी दलों को सुविधाएं देना है। विपक्ष के नेता को स्वाभाविक रूप से यह विशेषाधिकार मिलना ही चाहिए।

मुझे भी खेद है कि आपात स्थिति के 20 महीनों के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऐसा इसी अवधि के दौरान नहीं हुआ अपितु पिछले 30 वर्षों के दौरान भी हुआ है क्योंकि इन तमाम वर्षों में एक ही दल का शासन रहा है।

हम सभी विपक्षी दलों के राजनीतिक नेता हैं। हम अपने दल के संसद में 29 सदस्य हैं किन्तु हमें पहली मंजिल में कमरा नहीं मिला हुआ है। हमें तीसरी मंजिल में जाना होता है। इस प्रकार आप लोकतंत्र का समुचित ढंग से विकास नहीं कर रहे हैं।

इस विधेयक को पास करने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक दलबदल विरोधी विधेयक पास नहीं हो जाता, इस विधान का महत्व सदा नहीं बना रह सकता। कांग्रेस दल के लोग इसका समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि इससे उनके नेता को मान्यता और एक अच्छा वेतन मिलने लगेगा तथा उनके दल की महत्ता बढ़ेगी। परन्तु वास्तविकता यह है कि वे तो गत 30 वर्षों से देश

में शासन करते रहे हैं, देश भर में प्रशासन के हर कोने से परिचित हैं और अनेक सुविधाओं तक उनकी पहुंच है। अधिक सुविधाओं की आवश्यकता तो अन्य विरोधी दलों को है जो कि बहुत पिछड़ी और तकलीफदेह स्थिति में हैं। हमें केवल कांग्रेस दल की नहीं, अपितु अन्य दलों की भावनाओं का ख्याल करना चाहिए। इस देश को इग्लैंड, अमेरिका या केनेडा की तरह के प्रजातंत्र की आवश्यकता नहीं है, यहां भारतीय प्रजातंत्र होना चाहिए। अतएवं मेरा अनुरोध है इस विधेयक पर जल्द बाजी से काम न लेकर इस पर पुर्नविचार किया जाना चाहिए और ऐसा रूप देना चाहिए जिससे देश के सभी विरोधी दलों की इस पर आस्था हो।

राज्यों में सरकारों की पद्धति को देखा जाना चाहिये। कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस का शासन है, दक्षिण में दो राज्यों में हमारा दल अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक शासन कर रहा है। केरल में, कम्युनिस्ट कांग्रेस की मिली जुली सरकार है। गोआ में अलग दल का शासन है। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी दल का शासन है। पंजाब में अकालीदल का शासन है। मान लीजिए कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में किसी प्रादेशिक दल का शासन हो जाता है। ऐसी दशा में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में वहां के सदस्य यहां आयेंगे और तब क्या आप इस दल को सबसे बड़ा दल मान कर केन्द्र में मुख्य विरोधी दल के रूप में मान्यता देंगे यद्यपि यहां दल राष्ट्रीय दल न होकर केवल मात्र प्रादेशिक दल होगा ?

मैं प्रतिपक्ष के नेता को वेतन देने के विरोध में हूं। 2500 रुपये प्रति माह वेतन आवश्यक नहीं हैं। विभिन्न दलों के सदस्यों को बंगलों की सुविधायें पहले ही मिली हुई हैं। संसद सदस्यों को टाइप कराने की सुविधायें तथा काम करने के लिये कमरों की सुविधायें होनी चाहिए। सरकार को फिलहाल यह विधेयक वापस लेना चाहिए और सही रूप में फिर पेश करना चाहिये।

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद (कालीकट) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं विधेयक का स्वागत इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हमारे दल का सदस्य प्रतिपक्ष का नेता है। प्रजातंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं और यह विधेयक इस समय के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी है। अतः यह कहना गलत है कि यह विधेयक हमारे लिए प्रतिकूल है या लाभदायक है। मुख्य बात यह है कि संसदीय प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण और आवश्यक होती है। इसी आधार पर इंगलैंड, कनाडा तथा अन्य कई देशों में प्रतिपक्ष को सांविधिक और सरकारी मान्यता देने तथा प्रतिपक्ष के नेता को सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई थी।

इसमें संदेह नहीं कि विरोधी दल का काम विरोध करना है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि विरोध पक्ष असंगत, विनाशकारी तथा नकारात्मक विरोध करता है। इसका अर्थ यह है कि विरोध पक्ष रचनात्मक एवं जिम्मेवारी से विरोध करता है। सरकार की किसी कार्यवाही या प्रस्ताव का समर्थन एक ही बात पर निर्भर करता है और वह यह है कि क्या वह कार्यवाही देश हित में है या नहीं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने सकारात्मक तथा रचनात्मक सहयोग दिया है। जब भी सरकार द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है जो देश के हित वाली हमारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के समाप्त करने वाला है तो हम निश्चय ही उसका विरोध करेंगे। हम इसी भावना से काम करते हैं और जब हम कहते हैं कि प्रतिपक्ष को महत्वपूर्ण काम करना होता है तब भी हमारे पीछे यही भावना रहती है।

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Saharsa) : This is a historical Bill, but the time allotted for it is inadequate.

It is not sufficient to provide facilities and salary to the leader of opposition. He cannot function effectively in the Parliament until he has an access to the official files and officers of various Government Departments.

Countries like England, Asutralia and Sri Lanka have been quoted by the Hon. Minister in this connection. But it has been the tradition of our country to give due regard to differing opinions. Since this Bill does not satisfy that purpose fully. I have given an amendment that this bill should be circulated for eliciting public opinion. We should not pass this Bill in haste. We should discuss it seriously.

श्री एम० एन० गोविंदन नायर (त्रिवेन्द्रम) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। हम प्रजातंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। विरोधी दलों को समझना चाहिये कि संसदीय प्रजातंत्र दोनों पक्षों के बीच दौड़ नहीं होती विरोधी दल के नेता को वेतन देने से अधिक महत्वपूर्ण सत्तारूढ़ दल के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। मानसिक दृष्टिकोण नहीं बदला है। अन्य देशों के उदाहरणों से काम नहीं चलेगा।

हमारे देश की सत्ता बदलती लहरों के साथ बदलती है। हमारा प्रजातंत्र अर्ध विकसित नहीं है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : इस विधेयक के कुछ उद्देश्य प्रशंसनीय हैं। लेकिन इतना कहना आवश्यक होगा कि विधेयक के कुछ प्रावधान त्रुटिपूर्ण हैं। विधेयक को पेश करने का समय भी समोचित प्रतीत नहीं होता। इसके प्रावधान विवादप्रद भी हैं। विरोधी पक्ष के नेता को तो सरकार इतना पैसा देने के लिये तैयार है लेकिन जीवन के अन्य क्षेत्र में काम करने वाले कई लोगों को देने के लिए तैयार नहीं है।

जहां तक इस सरकार का विपक्ष के प्रति रवैय का सम्बन्ध है, यह सामान्य है, पिछली सरकार का रवैया असाधारण था। मंत्री जी कह रहे हैं कि वह विपक्ष का मान कर रहे हैं, किन्तु वास्तव में वह उन पर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। लोकतांत्रिक ढांचे में ऐसा ही होता है।

जहां तक सुविधाएं देने का सम्बन्ध हैं, ये सुविधाएं केवल विपक्ष के नेताओं तक ही सीमित क्यों रखी जायें। ये सुविधाएं विपक्षी दलों के विभिन्न नेताओं एवं व्यक्तिगत रूप में संसद सदस्यों को भी उपलब्ध क्यों न की जायें? मैं यहां निर्दलीय हूं। मेरे पास बैठने के लिए स्थान नहीं है, लिखने के लिए मेज नहीं है, पुस्तकें रखने के लिए स्थान नहीं है। मुझे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जहां तक सचिवालय सम्बन्धी सहायता का सम्बन्ध है, संसद सदस्य मंत्रियों के समान हैं और हम उन्हीं के समकक्ष हैं। सदस्यों को संसद भवन में सचिवालय सम्बन्धी सहायता और आवास देने की महती आवश्यकता है।

भारत में लाखों भूतपूर्व सैनिक दस वर्ष से 15 वर्ष तक सेना में सेवा करने के बाद 30 रुपये या 40 रुपये अथवा 50 रुपये पेंशन पाते हैं। लेकिन संसद सदस्य केवल एक बार सदस्य बनने के बाद भी 300 रुपये पेंशन पा रहे हैं। उनकी पेंशन समाप्त की जानी चाहिए। आशा है वह मेरी इस बात से सहमत होंगे। यदि वह इस अधिनियम से पेंशन के उपबन्ध को समाप्त कर दें तो फिर मैं इस विधेयक से सहमत हो जाऊंगा · · · **(व्यवधान)**

यद्यपि यह वास्तव में अच्छा विधेयक है, फिर भी यह अव्यवहार्य है/मुझे यह पता नहीं है कि क्या मंत्री महोदय ने इस पहलू पर विचार किया है। इस विधेयक ने देश में दो दलीय प्रणाली का अस्तित्व अपना लिया है। यदि देश में दो दलीय प्रणाली नहीं है तो फिर हम यह विधेयक किस तरह ला सकते हैं। हमारा देश विशाल है। हमारे जैसे देश में दो दलीय प्रणाली नहीं हो सकती। तब फिर इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता है। मान लीजिये अगली लोक सभा में तीन विपक्षी दल होते हैं और प्रत्येक दल को समान सीटें प्राप्त होती हैं तो हम किस किस दल के सदस्य को विपक्ष का नेता बनायेंगे ? क्या हमारे पास तीन विकल्प हो सकते हैं ?

यह विधेयक सिद्धांत रूप में अच्छा होने पर भी समय की पुकार के अनुसार नहीं है। और मैं नहीं समझता कि जनता पार्टी को सम्पूर्ण देश को यह आश्वासन देने के लिए कि वह लोकतंत्र में विश्वास रखती है, यह विधेयक लाना चाहिए। इस तथ्य से कि जनता ने इसे सत्ता दी है, अपनी स्थिति का ज्ञान है। अतः कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करना चाहिए और फिर इस सुविधा के लिए कहना चाहिए।

संसदीय कार्य और श्रम मन्त्री (श्री रवींद्र वर्मा) : विधेयक पर हुए वाद-विवाद से पता चल गया है कि जहां तक इसके सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, उनका समर्थन हुआ है, कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि सम्भवतः यह उचित समय पर बनाया गया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि यह इतना अधिक असामायिक नहीं है कि इस पर सदन में चर्चा न की जाये।

जहां तक विधेयक के मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध है, श्री समर मखर्जी ने यह मामला उठाया था। हमने यह तथ्य स्वीकार किया है कि हमारे जैसे देश में सरकार की विरोधी अनेक दल हो सकते हैं। उन्हें उचित और वैध स्थान दिया गया है। इस पर भी हमें यह पहचानने के लिए मापदंड अपनाना होगा जिससे हम यह जान सकें कि सरकार का विरोध करने वाला कौन सा विपक्षी दल मुख्य है। अतः संख्या के तर्क की उपेक्षा करना और यह कहना कि अपेक्षित सदस्य संख्या वाले विपक्षी दल और विपक्ष के अन्य दलों में कोई अंतर नहीं है, हमारे लिए बहुत कठिन हैं। इनकी उपक्षा करना संभव नहीं है। इस देश में लोगों ने ध्रुवीकरण की आवश्यकता के बारे में कहा है। या किसी तरह का समेकन होना चाहिए ताकि विपक्षी दलों का कार्यकरण प्रभावी हो · · (**व्यवधान**) क्षेत्रीय दल हमेशा रहेंगे और जब लोग समेकन की बात करते हैं तो वे विपक्षी दलों के समेकन के बारे में कहते हैं . . (**व्यवधान**) मैं क्षेत्रीय दलों की बात नहीं कर रहा।

जो कुछ श्री मुखर्जी ने कहा है उसके पीछे यही मुख्य बात है कि सम्भवतः हम कांग्रेस दल को ही एक मात्र विरोधी दल बनाना या उसे ही विपक्षी दल के रूप में मान्यता देना चाहते हैं। यह सर्वथा अनुचित व्याख्या है। ऐसी बात नहीं है कि हम कांग्रेस दल को ही विपक्षी दल बनाना चाहते हैं। और वह भी ऐसे समय में जबकि हम यह विधेयक लाए हैं। आज वह विपक्ष में हैं। हो सकता है कल श्री मुखर्जी की अध्यक्षता में वह पार्टी हो जिसे विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाये। अतः प्रश्न यह नहीं है कि इन सुविधाओं को, जिनका इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है, कौन प्राप्त करेगा। लेकिन प्रश्न इतनी विशाल सदस्य संख्या वाले विपक्षी दलों को कुछ सुविधाएं देने का है।

श्री मावलंकर और भी आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत सदस्यों को भी ये सुविधाए दी जाएं। यह ठीक है, उन्हें भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिएं। लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्हें आज कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस विधेयक में उन सुविधाओं के बारे में उपबन्ध नहीं है। निस्संदेह सदस्यों की कार्यक्षमता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी संभव हो, उस पर विचार किया जाना चाहिए। इस मामले में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी (**व्यवधान**)।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या आपका यह मतलब है कि संसद सदस्यों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

श्री रवींद्र वर्मा : श्री पजनौर ने कहा है कि यह विधेयक व्यावहारिक नहीं है ? इस तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूं कि यह व्यावहारिक विधेयक है और सम्भवतः सूझबूझ वाला कदम हैं।

श्री यादव ने कहा है कि विधेयक के उपबन्ध पर्याप्त नहीं है तथा विपक्ष के नेता को और अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। किसी को कहीं तो श्रीगणेश करना ही होगा। यह कुछ प्रवृत्तियों के विकास का मामला है। कुछ परिस्थितियों के विकास का मामला है, जहां लोकतंत्र और देश के सामूहिक लाभ के लिए कुछ सुविधाएं देना आवश्यक हो गया है। इस विधेयक में हमने इस दिशा में शुरुआत करने का प्रयास किया है। विधेयक के उपबंधों से अधिकांश सदस्य संतुष्ट हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विनायक प्रसाद राव ने कह दिया है कि वह अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

THE AMENDMENT WAS, BY LEAVE, WITHDRAWN

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन तथा भत्तों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

खंड 2

श्री ए० के० राय : मैं अपना संशोधन संख्या 3 और 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं।

श्री समर मुखर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ए० के० राय : हमारे पास कर्मचारियों को बोनस देने के लिए पैसा नहीं है। उनको अनिवार्य जमा राशि लौटाने के लिए पैसा नहीं हैं। और हम हर जगह मितव्ययता की बात करते हैं, लेकिन हम विपक्ष के नेताओं को अतिरिक्त वेतन और सुविधाएं दे रहे हैं।

विपक्ष के नेता को, जो इस समय कांग्रेस पार्टी के हैं, अतिरिक्त धन देना देश में यह समझा जायेगा कि हम आपात स्थिति के लिए उन्हें बोनस दे रहे हैं उन्होंने आपात स्थिति लागू करके हमें भारी यातनाएं दी और हम उन्हें बोनस देना चाहते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : खंड 2 में विपक्ष और किसी दल के नेता को सुविधाएं, वेतन तथा अन्य बातों का अधिकारी बनाया जाये, की परिभाषा देने का उपबंध किया गया है। यह मापदण्ड निर्धारित करने के लिए इस सदन के अध्यक्ष और दूसरे सदन के सभापति पर ही छोड़ दिया गया है। लेकिन यह उपबंध संविधान में किया जाना चाहिए। इसे अध्यक्ष तथा सभापति पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। किसी विपक्षी दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या की ठेके बराबर सदस्य संख्या प्राप्त करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3, 4 15, तथा 23 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

THE AMENDMENTS NO. 3, 4, 15 AND 23 WERE PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

CLAUSE 2 WAS ADDED TO THE BILL

खण्ड 3

श्री ए० के० राय : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

खंड 3 में संशोधन किया जाये कि विपक्ष के नेता को 501 रुपये मासिक वेतन दिया जाये। हमें 500 रुपये वेतन तथा 500 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाता है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं।

यदि विपक्ष का नेता वेतन लेने से इन्कार कर दे तो सरकार की स्थिति बहुत शोचनीय हो जायेगी। अतः खंड 3 का इस प्रकार पुनः विन्यास करना चाहिए कि विपक्ष का प्रत्येक नेता दो हजार दो सौ पचास रुपये प्रति मास वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 तथा 16 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

THE AMENDMENTS 5 AND 16 WERE PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

CLAUSE 3 WAS ADDED TO THE BILL

खण्ड 4

श्री ए० के० राय : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ए० के० राय : खंड 4 में संशोधन कर यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि विपक्ष के नेता का यह कर्तव्य हो जायेगा कि वह सरकार की नीतियों और कृत्यों के विरुद्ध जनता की कठिनाइयों पर प्रकाश डालेगा और ऐसी कठिनाइयां पैदा करने वाली वर्तमान प्रणाली के विकल्प में स्पष्ट सामाजिक राजनीतिक प्रणाली प्रस्तुत करेगा। यह सराहनीय है कि श्रम और संसदीय कार्य मंत्री पिछली सरकार की तरह विपक्ष की आवाज को बन्द नहीं करना चाहते। लेकिन जो कुछ वह कर रहे हैं, वह और भी अधिक घातक है। वह विपक्ष की आवाज को मीठी आवाज बनाना चाहते हैं। सरकार की किसी भी ऐसे प्रयास का, जिसके द्वारा वह कोई जोड़ तोड़ करना चाहती है या विपक्ष को फुसलाना चाहती है, हमें विरोध करना चाहिए। क्योंकि यह सरकार और विरोधी पक्ष के बीच ऐसा टकराव है, जिससे हम आगे बढ़े हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : खंड 4 (1) का वाक्य विन्यास ठीक नहीं है। इसका इस प्रकार पुनर्विन्यास किया जाना चाहिए। "विपक्ष का प्रत्येक नेता, जब तक वह नेता रहता है, और इसके तुरन्त बाद एक महीने तक, किराया दिए बिना, सुसज्जित आवास में रहने और उसकी उचित देख-रेख कराने का पात्र होगा।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

THE AMENDMENT WAS PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 18 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

THE AMENDMENT WAS PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय :— प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

CLAUSE 4 WAS ADDED TO THE BILL

खण्ड 5

श्री हरि विष्णु कामत : खंड 5 में "परिवार" शब्द है। इस शब्द की परिभाषा नहीं की गई। इसकी परिभाषा दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

CLAUSE 5 WAS ADDED TO THE BILL.

खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिया गए

CLAUSES 6 AND 7 WERE ADDED TO THE BILL

खंड 8

श्री हरि विष्णु कामत : मैं संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री समर मुखर्जी : मैं संशोधन संख्या 24 और 25 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : खंड 8 के उपखंड (2) का लोप किया जाना चाहिए । खंड 4,5,6 और 7 में विपक्ष में नेता को 2500 रुपये मासिक वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का पहले ही अधिकारी बनाया गया है । 300 रुपये यात्रा भत्ता देनी की अतिरिक्त सुविधा आवश्यक नहीं । जबकि अतिरिक्त वेतन देने के लिए उचित अवसर नहीं है । आशा है सरकार इस उपबंध को समाप्त करने की समझदारी दिखायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 18, 24 तथा 25 सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

THE AMENDMENTS NO. 18, 24 AND 25 WERE PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

CLAUSE 8 WAS ADDED TO THE BILL.

खंड 9

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

CLAUSE 9 WAS ADDED TO THE BILL.

खंड 10

श्री समर मुखर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 26 और 27 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 26 और 27 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

THE AMENDMENTS NO. 26 AND 27 WERE PUT AND NEGATIVED.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

CLAUSE 10 WAS ADDED TO THE BILL.

खंड 11

श्री आर० डी० गट्टानी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—"कि पृष्ठ 4 पंक्ति 1 से 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये "

[(ख) उपखंड (1) के बाद निम्नलिखित उपखंड अन्तः स्थापित किया जायेगा— अर्थात्

"(ii) संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1977 में परिभाषित विपक्ष के नेता " और

(ग) वर्तमान उपखंड (ii) की क्रम संख्या उपखंड (iii) हो जायेगी ।]

[(b) after sub-clause (i) the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(ii) a Leader of the opposition as defined in the Salary and Allowance of Leaders of oppsition in Parliament Act 1977; and"; and

(c) the existing sub-clause (ii) shall be re-numbered as sub-clause (iii).]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि पृष्ठ 4, पंक्ति 1 से 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये । "

[(ख) उपखंड (1) के बाद निम्नलिखित उपखंड अन्तः स्थापित किया जायेगा; अर्थात् :—

"(ii) संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1977 में परिभाषित विपक्ष के नेता " और

(ग) वर्तमान उपखंड (2) की क्रम संख्या उपखंड (iii) हो जायेगी ।]

[(b) after sub-clause (i), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(ii) a Leader of the opposition as defined in the Salary and Allowances of Leaders of opposition in Parliament Act, 1977; and"; and

(c) the existing sub-clause (ii) shall be re-numbered as sub-clause (iii)]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री आर० डी० अट्टानी : मैं अपना संशोधन संख्या 8 मतदान के लिए नहीं रखना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें अपना संशोधन वापस लेने की सभा की अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।
THE AMENDMENT WAS BY LEAVE, WITHDRAWN

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपना संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड 11 में कई प्रकार के संशोधन किए गए हैं । मैं नहीं समझता कि क्या आप इस तरह के महत्वपूर्ण विधान में इस तरह की मिश्रित बातों को रखेंगे ? विपक्ष के नेता के सम्बन्ध में पहले ही एक विधान है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 19 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
THE AMENDMENT WAS PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 11 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खंड 11 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
CLAUSE 11, AS AMENDED, HAS ADDED TO THE BILL.

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
CLAUSE 12 WAS ADDED TO THE BILL.

खंड 1

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपना संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूँ ।

यह मेरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण संशोधन है खंड 1 से सम्बंधित इस संशोधन से मैं चाहता हूं कि यह विधेयक एक दम लागू न हो अपितु 26 जनवरी, 1978 से लागू हो । क्योंकि तब तक सरकार बोनस के सम्बन्ध में विधेयक लाने के बारे में निर्णय ले लेगी ।

अगले दो महीनों में यह पता चल जायेगा कि लोकतंत्र को नष्ट प्राय: करने वाले इस दल का क्या विचार है । और क्या वे वास्तव में अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं ? इसलिए मेरे विचार से यह बीच का समय बहुत लाभदायक होगा । अत: विधेयक लागू किया जा सकता है ।

श्री रवींद्र वर्मा : मैं खण्ड 1 के संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा हूं क्योंकि खंड 1 (2) म सभी सम्भावनाओं का समावेश हो गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
THE AMENDMENT WAS PUT AND NEGATIVED

श्री समर मुखर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

THE AMENDMENT WAS PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

CLAUSE 1 WAS ADDED TO THE BILL

अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया ।

THE ENACTING FORMULA WAS ADDED TO THE BILL

शीर्षक

श्री समर मुखर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

THE AMENDMENT WAS PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि शीर्षक विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

शीर्षक विधेयक में जोड़ दिया गया

THE TITLE WAS ADDED TO THE BILL

श्री रवींद्र वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्वेतपत्र पर चर्चा करेंगे ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस प्रतिवेदन पर चर्चा करने से पहले में आपका ध्यान दो अत्यन्त गम्भीर मामलों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

आमुख में बताया गया है कि यह श्वेतपत्र 22 जून, 1977 को प्रस्तुत दास समिति के प्रतिवेदन और सरकार को उपलब्ध की गई अन्य सामग्री के आधार पर तैयार किया गया है । मेरा प्रश्न

यह है कि कि दास समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखा गया था । यह प्रतिवेदन ग्रन्थागार में शनिवार को दोपहर के बादे ही उपलब्ध हुआ और आज सोमवार को इस पर चर्चा हो रही है। जिस आधार पर यह श्वेतपत्र तैयार किया गया है वह हमें पहले से उपलब्ध नहीं हुआ ।

दूसरे 'सरकार को उपलब्ध अन्य सामग्री' भी हमें उपलब्ध नहीं की गई है। अतः हमें वह सामग्री उपलब्ध नहीं की गई है जिसके आधार पर इस श्वेत पत्र पर चर्चा की जानी है ।

तीसरे, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि सेंसर लगाने के मार्गदर्शी सिद्धान्त सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुमोदन से तैयार किए गये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ये सभी गम्भीर मामले चर्चा के दौरान अपने भाषण में उठा सकते हैं । अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा ।

SHRI UGRASEN (Deoria) : Seven hours have been allotted to this discussion. The House shall have to sit in the night upto 12 O'clock. This should be decided first.

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यह वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस चर्चा पर 7 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। मंत्री महोदय भी लगभग एक घंटा ले लेंगे । मेरा सुझाव यह है कि मंत्री महोदय को अपना भाषण नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने श्वेत पत्र पहले ही दे दिया है । हम नहीं चाहते कि यह समय कम हो । बेहतर तो यह होगा कि हम इसे आगामी सत्र तक के लिए स्थगित कर दें । .. (**व्यवधान**) ।

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Sir. This White Paper is incomplete and confusing. There should not be any discussion on this unless it is amended suitably.

उपाध्यक्ष महोदय : हम आज इस विषय पर चर्चा आरम्भ कर देगें और 7-15 बजे सायं तक सदन में कार्यवाही चलेगी । फिर भी इस विषय पर चर्चा की आगामी सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया जायेगा ।

आंतरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव ।

MOTION *RE.* WHITE PAPER ON MISUSE OF MASS MEDIA DURING THE INTERNAL EMERGENCY

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सभा आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत पत्र पर जो 1 अगस्त, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

मैं अधिक समय नहीं लूगां । मैं इसे श्वेत पत्र की पृष्ठ भूमि तथा इसके कलेवर के बारे में कहना चाहूंगा । मै इस बात का अनुमान लगा सकता हूं कि दोनों ही पक्ष के मेरे कुछ साथी बार-बार यह कहेंगे कि यह अपर्याप्त है तथा इसमें सभी पहलुओं का समावेश नहीं किया गया है । जब आपात स्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों के बारे में सरकार विचार कर रही थी और जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक आयोग की स्थापना का प्रस्ताव था, और आयोग के निदेश मदों पर चर्चा

करते समय सरकार के सामने यह बात थी कि क्या प्रचार माध्यम को उसमें शामिल किया जाय या नहीं, उस समय सरकार ने यह अनुभव किया कि जबकि शाह आयोग के निदेश पदों में अन्य बातों को शामिल किया गया है तो प्रचार माध्यमों के बारे में गहन और लम्बी न्यायिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। उससे सम्बद्ध कागजात उपलब्ध है और उन सब के आधार ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय श्वेत पत्र जारी कर सकता है।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुझे स्वयं ऐसी कई बातों की जानकारी है जो श्वेतपत्र में शामिल नहीं की गई हैं। लेकिन जिस तरह एक न्यायाधीश को किसी बात की जानकारी होते हुए भी वह उसे महत्व नहीं देता है, उसी प्रकार मैं उसे तब महत्व दे सकता हूं जब कि उचित और निष्पक्ष न्याय देने के लिए सारी प्राक्रिया पूरी न हो जाय। यह आवश्यक समझा गया कि मंत्रालय ऐसे सभी तथ्यों को जो अविवादस्पद हो एकत्र करें और उन्हें श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित करें। अन्य वे सभी बातें जिनकी तथ्यात्मकता निर्धारित करनी है शाह आयोग को सौंपी जायें। शाह आयोग उनकी जांच करेगा। इसीलिए बहुत से सदस्यों को यह लगेगा कि श्वेत पत्र अपर्याप्त है।

श्री मावलंकर तथा अन्य कुछ सदस्यों ने अनुरोध किया है कि दास समिति का प्रतिवेदन जिसके आधार पर यह श्वेत पत्र तैयार किया गया है, सदस्यों को उपलब्ध कराया जाय। शाह आयोग ने भी उन सभी कागजातों की मांग की है जिनकी दास समिति जांच कर चुकी है। मैं समझता हूं कि सभी विवाद ग्रस्त मामले शाह आयोग के लिए छोड़ दिए जाये मैंने श्वेत पत्र में वही बातें शामिल की है जिनके बारे में कोई विवाद नहीं हैं।

कुछ विसंगतियां भी है। यह सिद्ध होने पर कि प्रचार माध्यम का दुरुपयोग तत्कालीन सरकार के कारण हुआ और प्रधान मंत्री से लेकर इस विभाग के तत्कालीन मंत्री तक इस सम्बन्ध में निर्देश देते थे और उनके निर्देशों द्वारा ही प्रचार माध्यम का दुरुपयोग हुआ। मैं समझता हूं कि जहां तक श्वेत पत्र का सम्बन्ध है उसमें मंत्रालय के उत्तरदायिव और अधिकारियों को गुप्त रखा जाय। दास समिति ने कुछ अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया है जबकि हम नहीं चाहते कि उनके नामों का उल्लेख किया जाये। इसमें और दास समिति के प्रतिवेदन में यही अन्तर है। फिर मंत्रालय ने भी दास समिति के प्रतिवेदन में अपनी जानकारी समाविष्ट की है। इसी लिए यह दास समिति के प्रतिवेदन तथा अन्य सामग्री पर आधारित है।

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : उसे सदस्यों को उपलब्ध कराने में क्या कठिनाई है ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : यह प्रतिवेदन सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है। कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें नहीं दिया जा सकता। इस में "दुरुपयोग" के अतिरिक्त और कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें मूल्य निर्णय अथवा टिप्पणी को, जो दास समिति के प्रतिवेदन में दी गई है निकाल दिया गया है। संसद और जनता को स्वयं अपना निर्णय देना चाहिए। अन्यथा उसे अपर्याप्त समझा जा सकता है।

अतः श्वेत पत्र की अतीत में हुए कारनामों की निन्दा ही नहीं माना जाय वरन् इससे कुछ अधिक ही समझा जाये। इसका उद्देश्य लोगों में लोकतांत्रिक भावना जगाना है। इसका उद्देश्य यह निर्णय करने और इस बात की शपथ लेने के लिए प्रेरित करना है जिससे ऐसी बात फिर कभी न हो।

गत चार महीनों में इस बात का भरसक प्रयत्न किया गया है कि प्रचार माध्यम संतुलित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करें। इसके बावजूद जब भी कोई भूल या चूक होती है तो वह मेरी जानकारी में लाई जाती है। मैंने उन्हें सुधारा है इसका एकमात्र प्रमाण यह है कि बिगड़ी आदत देर से जाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई राजनीतिक मामला नहीं है वरन् इस प्रकार का विश्वास चार्टर है।

जब से हमने सत्ता सम्भाली है तभी से हमने प्रत्यक वचन को पूरा करने का प्रयास किया है और पूरा किया जा रहा है। इसके लिए मुझ गर्व है। यह कहा गया है कि 'रेडियो (आकाशवाणी) और टेलीविजन सेवा को स्वायत्तशासी निगम बनाने और समाचार माध्यम को सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र करने के लिए कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं अपने विपक्षी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे जरा सोचे कि उन 19-20 महीनों में क्या हुआ है मेरा विचार है कि वे यह स्वीकार करेंगे कि वह पथ भ्रष्टता का समय था। वह अधिनायकवाद एवं एकाधिकारवाद और तानाशाही का ही परिणाम था। आप यह नहीं कह सकते कि वह अनिवार्य हो गया था और ऐसी स्थिति फिर पैदा हो गई तो आपात स्थिति लागू कर दी जायगी यह कहना गलत है। मुझे विश्वास है कि यह कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण नहीं है (**व्यवधान**)। इस दौरान समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं पर ससर लगाया गया प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे कारनामे निवर्तमान सरकार या उसकी चंडाल चौकड़ी ने किये लेकिन जनता की सतर्कता के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फिर से मिल गई है।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने यह जानना चाहा था कि क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सम्पूर्ण कार्यकरण के बारे में वादविवाद किया जायगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब चर्चा केवल श्वेत पत्र पर होगी या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सम्पूर्ण कार्यकरण पर होगी।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : तकनीकी तौर पर यह प्रस्ताव श्वेत पत्र पर है। लेकिन इस श्वेत पत्र में इस मंत्रालय के सभी विभागों पर चर्चा हो जायेगी।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : श्वेत पत्र म प्रैस सैंसरशिप संसदीय कार्य के पूर्व सैंसर के सम्बन्ध में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। यह ऐसे है कि लोक सभा सचिवालय से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं की गई है। क्योंकि नहीं की गई है ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मुझे आशा है माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि किसी भी जाँच के लिए सरकार संसद को नहीं छेड़ती है। इसीलिए यह सदन के ऊपर है कि वह किस पर विचार करे।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : हमें पता है कल समाचार पत्रों में मंत्री के भाषण के अतिरिक्त और कुछ प्रकाशित नहीं होगा। यही स्थिति रेडियो और टेलीविजन की है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं दो दिन पहले नेता के बारे में अपने संकल्प पर लगभग पौने दो घण्टे तक बोला था। लेकिन बहुत से समाचार पत्रों में एक भी लाईन नहीं छपी थी। फिर एक गैर-सरकारी विधेयक पर भी बोला था। लेकिन समाचार पत्रों में वह भी नहीं आया। यह सब समाचार पत्रों पर निर्भर करता है (**व्यवधान**)।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे आपस में बातचीत न करें।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : पिछले 4 महीनों से, जब से मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला है मैं यह सर्वेक्षण और जांच करता रहता हूं कि सरकार और विपक्ष का सन्तुलित प्रचार किया जाय।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 342 के अनुसार प्रस्तावक को अपना भाषण जारी करने का अधिकार है। नियम यह है कि सदन मामले पर चर्चा करना स्वीकृति दे देता है। प्रस्तावक का भाषण समाप्त होने के बाद माननीय सदस्य प्रश्न उठा सकता है और प्रस्तावक उनका उत्तर देगा। लेकिन बार-बार ऐसा नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया सम्बन्धी नियम यह है कि चर्चा से पहले प्रस्ताव पेश होना चाहिए।

मंत्री के भाषण के तुरन्त बाद चर्चा आरम्भ करने का नियम है जिसमें विपक्षी सदस्य मंत्री महोदय के वक्तव्य का उत्तर देते हैं। अब वे जो भी कहना चाहे, उसे चर्चा के अन्त में कहें इस समय नहीं। इस प्रकार यहां नियम का उल्लघंन हुआ है। **(व्यवधान)** ।

सभापति महोदय : मैं श्री स्टीफन के तर्क की सराहना करता हूं। परन्तु इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है **(व्यवधान)** ।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : यह बात रेकार्ड की जाए कि आपका विनिर्णय सभी नियमों के विरुद्ध है (**व्यवधान**)।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मुझे केवल एक बात कहनी है (**व्यवधान**)।

श्री वसन्त साठे : इस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : व्यवस्था के प्रश्न की आड़ में भाषण दिए जाने हैं **(व्यवधान)** मैंने श्री साठे को अनुमति दी है।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मैं बोलना नहीं चाहता।

सभापति महोदय : श्री उन्नीकृष्णन अपना भाषण शुरु करें। जो सदस्य स्थानापन्न प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं वे अपनी पर्चियां 15 मिनट में भेज दें। उनके प्रस्ताव पेश किए माने जाएंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मंत्री महोदय की प्रारम्भिक टिप्पणी सुनकर प्रसन्नता हुई जब उन्होंने कहा कि श्वेतपत्र का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। परन्तु इस श्वेत पत्र द्वारा प्रचार माध्यम के दुरुपयोग को प्रकट करने से देर में लोगों का विश्वास इन पर से उठ जाएगा। मैं किसी का बचाव करना नहीं चाहता परन्तु इतना सही है कि जो घोषणाएं की जा रही हैं उनसे स्पष्ट है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है।

मुझे श्वेत पत्र को देख कर निराशा हुई है। इसने सनसनी पैदा करने वाली बातों के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत से गम्भीर मामलों की ओर समिति ने ध्यान नहीं दिया है। श्री के० एन० प्रसाद और पैट्रियट का कहीं जिक्र ही नहीं है। ऐसे ही अन्य कई मामले हैं। तथा जिनके बारे में अनेकों ज्ञापन मिले, इस श्वेत पत्र में उनको स्थान क्यों नहीं दिया गया। वर्गीज के मामले के सम्बन्ध

में हुए निर्णय को कहीं नहीं छापा गया। आपात्त स्थिति के दौरान 200 पत्रकार गिरफ्तार किए गये, उनकी सूची वहां कहीं भी नहीं है।

इस श्वेत पत्र और अन्य गतिविधियों से स्पष्ट है कि अब भी प्रचार माध्यमों का दुरूपयोग हो रहा है। देश में अभी भी छिपे तौर पर सैंसरशिप है। सरकार और विशेष कर यह मंत्रालय बड़े समाचारपत्रों के मालिकों के हितों की रक्षा कर रहा है।

जैसा कि श्वेतपत्र में उल्लेख है समाचार पत्रों को अब भी तीन श्रेणियों में बांटा गया है :— मित्र, निष्पक्ष और विरोधी। समाचार के प्रबन्ध से स्पष्ट है कि प्रचार माध्यम का दुरुपयोग अब भी चालू है। समाचार एजेन्सी पाठक समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। उसे सर्वथा निष्पक्ष होना चाहिए। समाचार ने कहानी गढ़ने और तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने में रिकार्ड स्थापित किया है। आपात स्थिति के बाद जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह एकाधिकार प्राप्त समाचार एजेन्सी बनाना है। ऐसा आपात स्थिति में ही हो सकता है।

[**श्री एम० सत्यनारायण राव** पीठासीन हुए
SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

जब तक इस एकाधिकार को एक या दो एजैन्सियों में नहीं बांटा जाता, हमें अच्छी सेवा नहीं मिल सकती। दो या अधिक एजन्सी होने पर प्रतियोगिता रहेगी। एकाधिकार की इस व्यवस्था से स्पष्ट है कि हम किस प्रकार की प्रणाली देश में चाहते हैं। जब एकाधिकार रहता है तब तक उसका दुरुपयोग किए जाने की सम्भावना बनी रहेगी क्योंकि संचार के एकाधिकारों का सदैव दुरुपयोग हुआ है। राजस्व अथवा संसाधनों की कितनी भी समस्या हो समाचार अपने वर्तमान रूप में नहीं रहना चाहिए। मंत्री महोदय इसे हर हालत में दो या अधिक एजेन्सियों में बांट दें।

समाचार एजेन्सी और समाचार पत्रों में स्पष्ट सम्बन्ध हैं। अखबारी कागज पर प्रशुल्क से छूट दी गई है जिससे वे मज़दूरी बोर्ड के पंचाट को लागू कर सके और एजेन्सियां भी बना सकें।

रेडियो में समाचारों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। यह एक दिन की बात नहीं है रोजाना के समाचारों में ऐसा ही होता है। मंत्री महोदय इसकी पूरी जांच करें और विपक्ष को भी समाचार बुलेटिनों में उचित समय दिया जाए।

सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा था कि उन्होंने मार्गदर्शी निदेश जारी कर दिये हैं कि 25 जून, 1975 से पहले की स्थिति पुनः कायम की जाये, एक तरफा आक्रमक प्रचार न किया जाये तथा एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाये। परन्तु मुझे खेद है कि उन मार्गदर्शी निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने एक परिपत्र जारी करके दूरदर्शन के कार्यक्रम "लास्ट वीक इन पार्लियामैंट" के बारे में राय मांगी थी। उस कार्यक्रम के बारे में यदि कुछ न कहा जाये, तो ही अच्छा है। उसमें किसी भी संसद सदस्य के नाम का उल्लेख नहीं था, केवल मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्यों का ही उल्लेख था। क्या यह उचित है ?

जहां तक प्रकाशन विभाग का सम्बन्ध है, प्रकाशन विभाग के बारे में श्वेत पत्र में कहा गया है कि इतिहास को स्त्रोत से ही गलत न होने दिया जाये। इस समूचे श्वेतपत्र का मुख्य उद्देश्य

बुद्धिजीवियों की स्वतंत्रता और विरोध करने का अधिकार है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इस बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है।

पत्रकारों को मान्यता देने वाली समिति का गठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समिति के गठन में यह परम्परा रही है कि दिल्ली के पत्रकारों को ही इस समिति में लिया जाता है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यह एक अच्छी परम्परा है, क्योंकि दिल्ली के पत्रकार न केवल संवाददाताओं के कार्य के बारे में जानते हैं परन्तु वे यहां की आवश्यकताओं और अपेक्षताओं के बारे में भी जानते हैं इस समिति का पुनर्गठन करते समय इसे राष्ट्रीय समिति बनाने का निर्णय किया गया है। इस से कोई लाभ नहीं होगा, सिवाय इसके कि कुछ अपने आदमियों को खपाया जा सकेगा।

पत्रकारों को मान्यता देने वाली समिति का एक और रुचिकर पहलू है। इस समिति का दुरुपयोग किया गया था। श्री इन्द्रजीत, श्री राघवन, श्री राजेन्द्रपुरी, श्री चन्द्रकान्त शाह जैसे प्रसिद्ध संवाददाताओं की मान्यता समाप्त कर दी गई। इस समिति के नियम 12 और 13 बड़े महत्वपूर्ण हैं। नियम 13 मंत्री और मंत्रालय को बहुत कुछ गोलमाल करने का अवसर देता है। इन नियमों को बदला जाय, क्योंकि अब वे सामयिक नहीं रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि पत्रकार स्वतंत्रता-पूर्वक कार्य करें, तो आपको इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

सम्पादक-मालिक सम्बन्धों का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। समाचारपत्रों के स्वामित्व को बड़े उद्योगों से अलग करना सब से महत्वपूर्ण है। मुख्य प्रश्न यह है कि समाचारपत्रों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता प्रदान की जाय, बड़े समाचारपत्रों में मालिकों को नहीं। हमें इस व्यवसाय के लिए एक आचार संहिता बनानी चाहिए यह समाचारपत्रों को बड़े उद्योगों से अलग करने पर ही संभव है।

आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव

MOTION *Re* : WHITE PAPER ON MISUSE OF MASS MEDIA DURING INTERNAL EMERGENCY

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात :—

"यह सभा आन्तरिक आपात स्थिनि के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत पत्र पर, जो 1 अगस्त, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद सरकार को निदेश देती है कि वह दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड सहिता के अधीन तुरन्त कार्यवाही करे।"

श्री एस० कुन्दू (बालासोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :—

"यह सभा आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेतपत्र पर जो, 1 अगस्त, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के

बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में भूतपूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा देश में अधिनायकवादी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से प्रचार माध्यमों, समाचारपत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दुरुपयोग के प्रयास की कड़ी भर्त्सना करती है, उन्होंने जन प्रचार माध्यमों का उपयोग श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री संजय गांधी को सर्वोपरि प्रदर्शित करने और विरोधी नेताओं तथा उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने उनका प्रयोग श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन का विरोध किया, के लिए झूठ घृणा और वैमनस्य फैलाने के लिए कुप्रचार के घृणित उपकरण के रूप में किया और योजनाबद्ध क्रमबद्ध तथा पूर्वनियोजित ढंग से बौद्धिक विचारों और विरोधी विचारधारा को समाप्त करने और इस प्रकार एक दल का शासन स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करके लोकतंत्र और मानवता के विरुद्ध घोरतम अपराध किया है और इसलिए सरकार से सिफारिश करती है कि इन कुख्यात गतिविधियों के लिए जिम्मेदार राजनीतिक और गैर-राजनीतिक लोगों का पता लगाये, जिम्मेदारी निर्धारित करे तथा जहां संभव हो, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे चलाये ।"

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :–

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :–

"यह सभा आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेतपत्र पर, जो 1 अगस्त, 1977 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद सरकार को निदेश देती है कि समाचार पत्रों की मलकियत का सरकार तथा एकाधिकार गृहों से जिन का लोकतंत्र के नाम में उन पर नियंत्रण है पूर्ण स्वायत्ता दिला कर समाचारपत्रों के कर्मचारियों को सौंप कर, विवधिकरण करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे ।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगबाद) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

" कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :–

"यह सभा आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत पत्र पर, जो 1 अगस्त, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद आपात के दौरान श्रीमती इन्दिरा गांधी की भूतपूर्व सरकार द्वारा जन प्रचार माध्यमों के घोर दुरुपयोग की भर्त्सना करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि उत्पीड़ित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करने तथा स्वतंत्र भारत के इतिहास की इस अधंकारमय अवधि में जन प्रचार माध्यम का दुरुपयोग करने वाले अथवा दुरुपयोग में सहायता देने वाले व्यक्तियों को कठोर दण्ड देने के लिए आवश्यक और पर्याप्त कदम उठाये ।"

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

5. "कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :–

यह सभा आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत पत्र, पर, जो 1 अगस्त, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद

आपात स्थिति के काले दिनों के दौरान भूतपूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों तथा विरोधी दलों के विचारों की उन्मुक्त अभिव्यक्ति के साधनों का गला घोंटने वाले और संसद की कार्यवाहियों के अबाध प्रकाशन को रोकने वाले तथा भारतीय लोगों पर स्थायी रूप से जुल्म का शासन कायम करने के अपने प्रयासों को बेशर्मी से उचित ठहराकर उनका षड़यंत्रकारी ढंग से दुरुपयोग करने वाले अत्याचारपूर्ण उपायों के लिये अपना रोषपूर्ण निरनुमोदन व्यक्त करती है, और सरकार से आग्रह करती है कि वह संसद सदस्यों की एक समिति बनाये जिसको निम्नलिखित बातों के लिये आवश्यक कदम उठाने के लिय सरकार से सिफारिश करने के अधिकार हों :–

(क) प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग से किये गये दुष्कृत्यों का समाप्त किया जाना

(ख) आपात स्थिति के दौरान पंगु तथा विकृत बनाये गये प्रचार माध्यमों की स्वतंत्रता बहाल करना ;

(ग) उन व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक उपाय करना जिन्होंने प्रचार माध्यमों का जान-बूझ कर दुरुपयोग किया या स्वेच्छा से इस प्रकार के दुरुपयोग में सहायक था ; और

(घ) उन लोगों के प्रति किये गये विभिन्न प्रकार के अन्याय को दूर करना जिन्होंने सम्पूर्ण प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग के बारे में भूतपूर्व सरकार की तानाशाही और पक्षपातपूर्ण नीति को लागू करने का जोशखरीश से विरोध किया था या इन्कार किया था।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : म निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :–

7. "कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"यह सभा आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत-पत्र पर, जो 1 अगस्त, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद विचार व्यक्त करती है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री के नेतृत्व में विगत कांग्रेसी सरकार ने उक्त माध्यमों का दुरुपयोग कर देश में संविधान, जनतंत्र और सभी संसदीय मान्य परम्पराओं की हत्या की है और संकल्प करती है कि उन सभी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये ।"

श्री बृज भूषण तिवारी (खलीलाबाद) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :–

8. "कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :

आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग करने सम्बन्धी श्वेत पत्र पर, जो 1 अगस्त, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद सरकार को निदेश देती है कि उन सभी दोषी तथा भ्रष्ट अधिकारियों के नाम प्रकाशित करे जिन्होंने जन प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र के यूल्यों को नष्ट किया तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करे और सभा को सचित करे।"

श्री केशवराव घोंडगे (नांदेड) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

9. "कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत-पत्र पर, जो 1 अगस्त, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद इस सभा की राय है कि आपात स्थिति की घोषणा के बाद प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।"

श्री लक्ष्मीनारायण नायक (खजुराहो) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

12. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"यह सभा आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत-पत्र पर, जो 1 अगस्त, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद सरकार को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान के अधीन तुरन्त कार्यवाही करने का निर्देश देती है।"

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN (Ganganagar) : The Hon. Minister deserves our congratulations that by laying the White Paper on the Table of the House, he has brought to light those activities which were dangerous for democracy. It has been pointed out in the White Paper as to how mass media was misused for party interests. No doubt, the White paper has brought many facts to light but there are so many other facts which have not been brought to light. Those facts should also be brought to light.

The Ministry of Information and Broadcasting has been working since long, when the Shrimati Indira Gandhi was the Information and Broadcasting Minister. But the situation became worse on the proclamation of Emergency. The then Information and Broadcasting Minister Shri I. K. Gujral was removed from office and the Ministry was entrusted to Shri V. C. Shukhla. He brought with him two I.P.S. and one I.C.S. Officers. It was done with a view to furthering the party interests. Apart from these officers, there were many other officers in A.I.R. and T.V. who used to do party propaganda. There was a propaganda Committee under Shri Yashpal Kapur. There was a writer Forum under that Committee on which many officers of A.I.R. and T.V. were represented. All these things were done to throttle democracy and foster party ends.

Many of the officers whose work was to indulge in false propaganda for projecting the image of the former Prime Minister and toe her line. They have changed their look, but they are still with their old comrades. They cannot be relied upon. They are not co-operating with the Government. They are creating troubles for the present Government. So the present Government must be very cautious about them, because they can frustrate any enquiry by the Government.

Many of the officers of the Department are involved in embezzlement and misappropriation cases. I have tabled many questions in that regard, but no satisfactory reply has been given. The Hon. Minister should pay attention to this matter and the guilty persons must be punished.

Emergency was proclaimed on 26 June 1975 and on 27th a fire broke out in the T.V. Centre.

It was reported that it was an act of sabotage and may persons were arrested. I have come to know that it was not an act of sabotage, but a wilful act and the T.V. Centre was set on fire knowingly. The T.V. Centre was set on fire in order to conceal the embezzlement and misappropriation to the tune of lakhs of rupees incurred on making films and Transport etc. My suggestion is that a Committee should be constituted to enquire into this episode and those four guilty should be punished.

A film "Indus Valley to Indira Gandhi" was produced at the cost of Rs. 12 lakhs. The screening contract for 50 years was given to the producers. The contract money for this film was paid after the announcement of Congress party's defeat. Similarly a film 'Peoples mandate' was also produced through Asian films. In fact a practice was in vogue in T.V. and News and Features Directorates to award contracts without inviting tenders etc. There was something seriously objectionable about all these cases. I would urge upon the Government to institute a thorough probe into all this.

Many irregularies have taken place in regard to the recruitment of Assistant Producers, Assistant Directors etc. in Doordarshan. Favouritism and nepotism are so rampant there that persons without any talent and experience were appointed to those jobs. This would certainly bring down the standard of T.V. This should be looked into and the steps must be taken to streamline the organisation.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मंत्री महोदय ने श्वेतपत्र प्रकाशित करके एक महान सेवा की है। यह श्वेत पत्र भ्रष्ट काले कारनामों, तोड़फोड़ और काली गतिविधियों का भंडा फोड़ करता है। इससे पता चलता है कि सत्ता एवं प्राधिकार का पार्टी दुरुपयोग हुआ है।

जिन व्यक्तियों ने ऐसे घिनौने कार्य किये वे जन अधिकारों के लुटेरे हैं। ऐसे व्यक्तियों को लोगों को दबाने और उन्हें उनके अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिये। हम लोगों को ऐसे व्यक्तियों के पंजे से मुक्त करना चाहिये जो अपने चमचों और किराये के आदमियों की सहायता से हेराफेरी करके वापस आना चाहते हैं। उन्हें यह बता दिया जाना चाहिय कि वे न्यायालय के निर्णय से बचने के लिये एक के बाद दूसरे बुरे काम करते रहे हैं। उन्होंने झूठ-मूठ आपात-स्थिति घोषित कर दी। इस आपात-स्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिये लोगों को गुमराह किया गया और उन्हें मूर्ख बनाया गया। इस उद्देश्य के लिय उन्होंने कठोर सेंसरशिप लगा दी और उस बातें रखने के लिए देश में आसुंका का प्रयोग किया। जन-प्रचार का प्रयोग काग्रसी नेताओं की तथा कथित उपलब्धियों का ढोल पीटने के लिये किया गया। भूतपूर्व प्रधान मंत्री को न केवल अमोध बल्कि अपरिहार्य बनाने का प्रयत्न किया गया।

श्री विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने सरकारी कार्यकरण के लज्जास्पद अध्याय की शुरुआत की। संविधान संसदाय प्रणाली और प्रजातंत्र तथा जन अधिकारों के साथ झूठी सहानुभूति दिखाई गई। यह मंत्रालय तत्कालीन सत्तारुढ़ दल का प्रचार माध्यम बन गया था और हमने सत्तारुढ़ दल के सदस्यों को छोड़कर अन्धाधुंध सेंसरशिप लागू कर दी। संसद सदस्य की आवाज़ सदन के बाहर नहीं सुनी जा सकती थी। हमें अपने भाषणों को छपवाने या बटवाने की अनुमति नहीं थी। फ़िरोज गांधी अधिनियम निरसित कर दिया गया। आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारक अधिनियम पास किया गया। प्रैस परिषद समाप्त करके प्रैस सेंसरशिप लगा दी गई।

आपात्त स्थिति के काले दिनों के दौरान संसदीय कार्यवाही को, न्यायिक कार्यवाही को सेंसर किया गया। ऐसी किसी भी सामग्री को सेंसर किया गया जो सत्तारूढ़ दल को पसन्द नहीं था।

श्रमिक वर्ग एवं किसानों की संगत शिकायतों को प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। आम लोगों की समस्याओं और दुःखों को प्रकाशित नहीं किया जा सकता। इस देश के लोग वे लोग हो गये जिन्हें सूचना नहीं थी या गलत सूचना प्राप्त थी। देश के लोगों को सच्ची खबर नहीं मिली।

"जनशक्ति" एवं 'इवनिंग डेली" के विरुद्ध आपात-स्थिति में 47 कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। दो बार उनके अंकों को जब्त किया गया। दोनों बार अखबार के मालिक ने न्यायालय की शरण ली। उन्हें रेल दुर्घटनाओं एवं प्रेसीडेंसी जेल में चली गोली की खबर नहीं छापने दी क्योंकि सरकार की दृष्टि में यह आपत्तिजनक बात थी। प्रैस के लोगों की मान्यता समाप्त हो गई वे संसद के सेन्ट्रल हाल में नहीं घुस सकते थे। लेकिन इन सब बातों का कोई विरोध नहीं किया गया पत्रकारों को कड़े कानूनों के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया तब कांग्रेस सदस्यों ने, जो अब प्रैस के रक्षक होने की हामी भरते हैं, सरकार के मनमाने कामों पर एक भी अंगुली उठा नहीं सके।

सेंसरशिप आदेश का प्रतिस्थापन करने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कहा गया कि बंगला देश, संसद तथा विधान सभा मंडलों की कार्यवाही, श्रीमती इन्दिरा गाँधी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही पर सेंसरशिप के बिना खबर नहीं छापी जा सकती। उन दिनों सरकार का यह रवैया था। इस बात का उल्लेख किया गया है कि संसद के अहाते में किस प्रकार की ससरशिप लगाई गई थी। यदि संसदीय कार्य मंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के कहने पर संसद के अहाते में सेंसरशिप लागू की गई थी तो इस मामले की जाँच होनी चाहिए क्योंकि इस मामले को महज औपचारिक सरकारी काम नहीं कहा जा सकता। यह उस सदन की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास था जो सदन के लोगों के अधिकारों का संरक्षक था।

रविन्द्र नाथ, शरतचन्द्र, मार्क्स, लेनिन, ऐंजल्स तथा पंडित नेहरू और महात्मा गांधी तक के उद्धरण हटा दिए गए और छापने नहीं दिए गए। बहाना यह लगाया गया कि हमें बिना संदर्भ के इन नेताओं के उद्धरण नहीं देने चाहिए।

समाचार पत्रों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। कुछ छोटे बीच के तथा बड़े समाचार पत्रों को, जो उनके कहे अनुसार नहीं चल रहे थे, सरकारी विज्ञापन देने बन्द कर दिए गए। उधर "हिन्दुस्तान टाइम्स" 'दि हिन्दू' 'सूर्य' आदि को विशेष दरों पर विज्ञापन दिए गए। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में सरकारी संरक्षण तथा किसी समाचार पत्र को धन देने के मामले में विज्ञापनों का प्रयोग न किया जाए।

पत्रकारों को गिरफ्तार तथा परेशान किया गया। आवास सुविधाएं वापिस ले ली गई और उनकी मान्यता समाप्त कर दी गई। परिणामस्वरूप कुछ पत्रकारों ने झुकना शुरू कर दिया और तथाथित महान नेता के गुणगान करने में प्रतिस्पर्द्धा शुरू हो गई।

झूठे तरीकों से उस व्यक्ति को देशरक्षक के रूप में प्रकट करने के लिए जोकि सिद्धांतों तथा देश के लोगों के लक्ष्य को नष्ट करने वाला हो, सरकारी तंत्र का उपयोग न किया जाए।

समाचार में जानबूझकर और जबर्दस्ती अन्य एजेन्सियों को मिला दिया गया और इसे स्वेच्छिक एकीकरण का नाम दिया गया। अतः समाचार एजेंसी के पुनर्गठन से पूर्व हम कुलदीप नायर समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए।

हम चाहते हैं कि दोषी व्यक्ति को ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि भविष्य में इसकी कमी पुनरावृत्ति न हो। उन्हें जेलों में बन्द किया जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार बी० के० नेहरू जैसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है जिन्होंने कि अपनी राजनियक स्थिति का दुरुपयोग किया है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे लोगों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करें ताकि दुबारा कोई ऐसा काम करने का साहस न करे।

हम समाचार पत्रों में भूलों से तब तक छुटकारा नहीं पा सकते जब तक हम स्वामित्व को मिला नहीं देते और उनका सम्बन्ध विछेद नहीं कर देते तब तक स्वामित्व को मिलाया नहीं जाता और संबंध विच्छेद नहीं किया जाता तब तक हम पत्रकारों की स्थिति में सुधार नहीं कर सकते और पत्रकारों की आचार संहिता नहीं बना सकते। ऐसी स्थिति बनाई जानी चाहिए जिसमें चन्द लोगों के हाथ में प्रैस निर्वाचित न रहे। मंत्री महोदय यह बताएं कि प्रैस के सम्बन्ध विच्छेद के बारे में सरकार की नीति क्या है। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न क्षेत्रों के दोषों को दूर किया जाए। और स्वामित्व को मिलाया जाए तथा सम्बन्ध विच्छेद आदि किया जाए और प्रैस की स्वतंत्रता को समाप्त करने तथा इसे व्यक्तिगत एवं दलगत उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करने वालों को सजा दी जाए इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं श्री अडवानी का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे अभी बताया गया है कि समाचार ने श्री चव्हाण द्वारा कहे गए शब्दों की गलत बयानी की है उसने कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जो उन्होंने बोले ही नहीं। मेरा श्री अडवानी से अनुरोध है कि वह कृपया इस मामले की जाँच करें।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

L784LSS/77—200—14-12-77—GIPF.